ग्रामीण विकास में शिक्षाकर्मी की भूमिका

-544
372
RAJ-G

प्राक्कथन

शिक्षाकर्मी ग्रामीण परिवेश में कार्यरत हैं। हाल ही में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हैं। ऐसे नये चुने हुए जन प्रतिनिधियों तथा सामान्य ग्रामीण जनों को क्षेत्र के विकास हेतु, स्वरोजगार हेतु एवम् गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षाकर्मी धरती से जुड़ा हुआ है, स्थानीय शिक्षित व्यक्ति है जिससे ग्रामीणों को विकास सम्बन्धी कई अपेक्षाएँ हैं, लेकिन विकास योजनाओं के पूर्ण ज्ञान के अभाव में शिक्षाकर्मी वांछित जानकारी देने में अपने आपको अक्सर असमर्थ पाता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षाकर्मी बोर्ड ने ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों की एक मार्गदर्शिका राजस्थान के पूर्व निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री जी.एस. नरवानी (सेवानिवृत आई.ए.एस.)-द्वारा तैयार करवाई है।

इसमें पंचायती राज के नये स्वरूप की जानकारी सहित, कई महत्वपूर्ण योजनाओं, मातृ एवं शिशु कल्याण, स्वच्छता, पोषाहार, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण एवं आर्थिक विकास, ग्रामीण परिवारों हेतु पेंशन एवं बीमा आदि का सरल भाषा में वर्णन है।

आशा की जाती है कि संकलन शिक्षाकर्मियों के ज्ञानवर्धन के बारे में सार्थक व उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही जन प्रतिनिधि स्वैच्छिक संगठन और सामान्य जन भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित महसूस करेंगे।

प्रियदर्शी ठाकुर

NIEPA DC
D09328

ग्रामीण विकास में शिक्षाकर्मी की भूमिका

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
1.	शिक्षाकर्मी की भूमिका	3 – 4
2.	राजस्थान एक दृष्टि में	5
3.	पंचायती राज का जिलेवार स्वरूप	6
4.	पंचायती राज का नवीन स्वरूप	7 – 12
5.	ग्रामीण स्वच्छता	13 – 15
6.	मातृ व शिशु कल्याण	16 – 20
7.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	21 – 32
8.	ग्रामीण रोजगार हेतु योजनायें	33 – 36
9.	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कपार्ट एवं स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग	37 – 39
10.	ग्रामीण विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाएँ	40 – 45
11.	अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु कल्याणकारी एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ	46 – 52
12.	अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु विशेष योजनाएँ	53 – 55
13.	गरीब परिवारों हेतु पेंशन एवं बीमा योजनाएँ	56 – 60
14.	जलग्रहण क्षेत्र आधार पर ग्रामीण विकास	61 – 70
15.	स्वस्थ समाज के सोपान	71 – 72

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9328
Date 22-10-96

ग्रामीण विकास में शिक्षाकर्मी की भूमिका

राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ आवागमन के साधन सीमित हैं व रास्ते दुर्गम हैं, शिक्षाकर्मी निष्ठा और लग्न से समर्पित होकर जन सेवा की भावना से दिन में नियमित विद्यालय चलाकर बालकों को शिक्षा का दान देते हैं। सायंकाल या रात्रि को उस बालक या बालिकाओं हेतु प्रहर पाठशाला चलाते हैं, जो दिन में अपने जीविकोपार्जन हेतु या घर के कार्य में व्यस्त रहते हैं। चूंकि शिक्षाकर्मी स्थानीय गाँव का ही निवासी एक पढ़ा लिखा युवक है, ग्रामवासियों की उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि गांव की समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षाकर्मी उन्हें सही–सही राय दे। ग्रामीण विकास की कौन–कौन सी योजनाओं से गरीब व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है या कौन–कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास कार्य करवा सकती है। इनकी जानकारी भी शिक्षाकर्मी को होगी, तो गांव में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। वह ग्राम–पंचायत का सलाहकार बन सकता है, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण व स्वरोजगार का रास्ता बता सकता है, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य हेतु मार्गदर्शक बन सकेगा, गांववासियों की कठिनाइयाँ हल करवा सकेगा और सच्चे अर्थों में पूर्ण शिक्षक की भूमिका अदा कर पाएगा।

शिक्षा या साक्षरता को अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शरीर को स्वस्थ रखने की शिक्षा, सही भोजन की शिक्षा, गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के पोषाहार की शिक्षा, टीकाकरण, दस्तरोग व भयंकर बीमारी से बचाव, फर्स्ट एड़ की जानकारी शरीर की रक्षा हेतु अत्यन्त उपयोगी शिक्षा है।

ग्रामीण स्वच्छता, सोखता गड्ड़ा, नाली निर्माण, स्वच्छ पेयजल स्रोत रखना, तालाब व बावड़ी के पानी से बीमारी का बचाव, हैण्ड पम्प का पक्का प्लेटफार्म, स्नान व कपड़े धोने हेतु पक्का प्लेटफार्म, मक्खी व मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचाव के तरीके तो बच्चों के लिए भी जानना आवश्यक हैं।

वातावरण भी स्वस्थ हो, जल एवं वायु का प्रदूषण न रहे, निर्धूम व उन्नत चूल्हा कैसे वातावरण व स्वास्थ्य की रक्षा करता है, गोबर गैस कैसे लाभदायक है, यह भी शिक्षा का ही अंग है।

स्वस्थ समाज हेतु बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, अस्पृश्यता निवारण व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कानूनी प्रावधान भी साक्षरता का ही अंग है। सामाजिक चेतना लाना व कुरीतियाँ दूर करने हेतु प्रयत्नशील रहना भी शिक्षक का दायित्व है।

स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ समाज बिना आर्थिक संबल के कोरे नारे बन जाएँगे। नारों से व भाषणों से भूख नहीं मिटेगी। आर्थिक रोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण, निःशुल्क भूखंड़, आवासीय सहायता, इंदिरा आवास, जनता आवास, जीवन धारा, गरीब परिवारों को ऋण अनुदान सहायता की पूरी जानकारी गांववासी को गणेश मानकर देनी होगी जो उसके जीवन का आर्थिक संबल बना सके।

जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से कैसे लाभ प्राप्त किया जाए, जवाहर रोजगार योजना, अपना गांव अपना काम योजना, तीस जिले तीस काम योजना, निर्बन्ध राशि योजना या कपार्ट संस्था से सहायता प्राप्त कर गांवों का विकास कैसे संभव है, शिक्षाकर्मी यदि जानकारी रखेगा तो वह बालकों का ही नहीं, गांव का गुरु व प्रेरणा स्रोत बन जाएगा।

वृद्ध, विधवा, विकलांग को पेन्शन कैसे मिले, दुर्घटनाग्रस्त गरीब मुखिया के परिवार को बीमा राशि कैसे मिले, झौपड़ी बीमा क्या है, मृत जानवर की बीमा राशि कैसे प्राप्त होगी, बैंक से ऋण अनुदान सहायता लेने का क्या तरीका होगा आदि–आदि। यह प्रत्येक ग्रामीण की कठिन क्षणों में सहायता की शिक्षा है।

प्रजातंत्र का ज्ञान भी तो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। पंच सरपंच व ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति, जिला परिषद् का चुनाव कैसे होता है। उनके क्या कार्य हैं। उनके वित्तीय साधन ग्रामीण विकास हेतु कैसे प्राप्त होते हैं।

तहसील, पटवारी, पुलिस आदि विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार सहयोगी होते हैं।

पंचायती राज चुनाव प्रणाली में अब 33 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। महिलाओं हेतु आंगनवाड़ी, द्वाकरा, महिला शक्ति जागरण की योजनाओं की क्रियान्विति कैसे होती है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु व स्वास्थ्य रक्षा के क्या उपाय उपलब्ध हैं। शिक्षाकर्मी को जानना उपयोगी रहेगा।

अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 15 प्रतिशत व पिछड़ी जातियों के भी करीब 15 प्रतिशत जनप्रतिनिधि पंचायतों में निर्वाचित हुए हैं, उनके कल्याण हेतु क्या कार्यक्रम संचालित हैं, व समाज के अन्य पिछड़े समूह किस प्रकार विशेष लाभ अर्जित कर सकेंगे, यह ज्ञान भी ग्राम स्तर पर शिक्षाकर्मी को होना चाहिए।

हर गांव में पानी की समस्या विशेषतः गर्मियों के मौसम में विकट रूप ले लेती है। वर्षा का पानी गांव का गांव कैसे रुके, जिससे भूमि कटाव भी न हो, उत्पादन भी बढ़े और कुओं का जल स्तर भी ऊंचा उठे, उसी पानी से चरागाह में उन्नत चारे के बीज डालकर चारा विकास हो, या ढलाऊ पहाड़ी जमीन में पेड़ लगाकर गांवाई जंगल विकसित हो, पंचायतों या स्वैच्छिक संस्थाओं से जलगृहण क्षेत्र विकास योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करवाएँ, यह मरुस्थलीय 11 जिलों एवं डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों में अप्रेल 1995 से लागू अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है।

अतः साक्षरता अभियान अधूरा रहेगा यदि शिक्षाकर्मी या अन्य माध्यम से स्वस्थ जीवन, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ समाज, प्रजातंत्र, ग्रामीण विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का ज्ञान दुर्गम व पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाकर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त न कर पाएँ।

(जी.एस. नरवानी)
सेवानिवृत आई.ए.एस.
पूर्व निदेशक, ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज: राजस्थान

राजस्थान एक दृष्टि में

1.	जनसंख्या (1991)	440.06 लाख	
	1. शहरी	95.61 लाख	21.73 प्रतिशत
	2. ग्रामीण	344.45 लाख	78.27 प्रतिशत
	3. पुरुष	230.42 लाख	52.36 प्रतिशत
	4. महिलाएँ	209.63 लाख	47.64 प्रतिशत
	5. अनुसूचित जाति		17.29 प्रतिशत
	6. अनुसूचित जन जाति		12.44 प्रतिशत
2.	कुल ग्राम	39810	
3.	आबाद गांव	34968	
4.	कुल नगरपालिकाएँ	192	
5.	जिला परिषद्	31	
6.	पंचायत समितियां	237	
7.	ग्राम पंचायतें	9187	
8.	उपखण्ड	90	
9.	तहसील	213	
10.	ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत 5193		
11.	जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत (81–91)		
	1. शहरी : 28.44	2. ग्रामीण : 25.46	
12.	साक्षरता	भारत : 52.11%	राजस्थान : 38.55%
	पुरुष	63.85%	54.99%
	महिला	39.42%	20.44%
13.	प्राथमिक शालाएँ	29490	
14.	अध्यापक	77856	
15.	प्रति ग्राम पंचायत औसत जनसंख्या	3750 (1991)	
16.	प्रति पंचायत समिति औसत जनसंख्या	145337 (1991)	
17.	प्रति ग्राम पंचायत औसत ग्राम	4.13	
18.	प्रति पंचायत समिति औसत ग्राम पंचायतें	39	
19.	प्रति जिला परिषद् औसत पंचायत समिति	7.65	
20.	प्रशिक्षण केन्द्र	3	
21.	प्रशिक्षण क्षमता	250	

पंचायती राज का जिलेवार स्वरूप

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत (नव-गठित) 1991	ग्राम 1991	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	ग्रामीण जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	8	276	1001	794666	1034536	174950	31378
2.	अलवर	14	478	1991	833614	1999569	364936	177913
3.	बारां	7	215	1599	691943	700740	130631	168446
4.	बाँसवाड़ा	8	325	1462	503346	1075883	52029	841820
5.	बाड़मेर	8	380	1634	283410	1319485	208417	81290
6.	भरतपुर	9	372	1454	491011	1311981	279971	34916
7.	भीलवाड़ा	11	378	1620	1009912	1308134	229342	134076
8.	बीकानेर	4	189	650	27078	745602	1711561	1384
9.	बून्दी	4	181	841	55500	635744	121847	151139
10.	चित्तौड़गढ़	14	391	2379	1023359	1281463	190302	294424
11.	चूरू	7	278	965	1649990	1097172	254774	5277
12.	दौसा	5	225	1052	290037	900098	197754	259797
13.	धौलपुर	4	153	569	295411	620654	129185	33923
14.	डूँगरपुर	5	237	850	379349	815628	35811	567122
15.	गंगानगर	7	320	2998	1137348	1340676	394047	2115
16.	हनुमानगढ़	3	252	1922	970315	1002256	273205	1486
17.	जयपुर	13	488	2187	1045181	2053384	353653	240236
18.	जैसलमेर	3	128	578	3814523	290917	44784	14854
19.	जालौर	7	264	676	1040430	1059355	187691	91704
20.	झालावाड़	6	251	1585	619546	841409	148223	108532
21.	झुंझुनूं	8	288	827	573619	1280842	198093	29006
22.	जोधपुर	9	338	863	2208965	1388933	235670	43292
23.	कोटा	5	162	502	515202	630616	151852	98595
24.	नागौर	11	460	1396	1743560	1816239	382472	4244
25.	पाली	10	321	919	1189466	1187375	222516	73544
26.	राजसमन्द	7	205	904	435581	704790	90624	94215
27.	सवाईमाधोपुर	10	423	1587	1040632	1529438	338620	396196
28.	सीकर	8	329	946	767820	1455393	213948	44919
29.	सिरोही	5	151	461	50898	533466	103738	143480
30.	टोंक	6	231	1089	58745	784586	163721	113972
31.	उदयपुर	11	438	2303	1153581	1698429	98335	941456

पंचायती राज का नवीन स्वरूप

भारत में वैसे तो **"पंच परमेश्वर"** की मान्यता सदियों पुरानी है। पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्देश थे। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में बना। पंचायत समिति व जिला परिषदों की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में दीप जलाकर की गई। पंचायती राज संस्थाओं के निर्धारित समय पर चुनाव नहीं होते थे, विकास कार्यों हेतु आर्थिक साधनों की भी कमी रहती थी, राज्य स्तर से पंचायतों को शक्तियों व अधिकार देने में भी उदारता नहीं दिखाई गई, इसलिए इन्हें प्राण संचारण की जरूरत थी।

73 वां संविधान संशोधन

भारत सरकार द्वारा 24 अप्रेल, 1993 को संविधान में संशोधन पारित किया गया। समस्त राज्य सरकारों को पाबंद किया गया कि एक वर्ष के अंदर अपने पंचायती राज कानून तद्अनुसार संशोधित करें।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 – मुख्य प्रावधान

1. राज्य में पूर्व की भाँति पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति कायम रहेगी – ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषदें।
2. अब लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों की भांति राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी प्रत्येक पाँच वर्ष में होंगे।
3. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता के कम प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरपंच के पद के लिए साक्षरता होने की जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की हुई थी उसे निरस्त कर दिया है, जिससे कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति या स्त्री वे निरक्षर हो, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ सके।
4. नये अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाला कोई भी पुरुष या महिला आने वाले चुनावों में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार बन सकता/सकती हैं। जबकि पूर्व में आयु की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष थी।
5. **ग्राम सभा–गाँव की विधानसभा**

- अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरपंच/उप सरपंच को वर्ष में दो बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से बुलानी होगी।
- ग्राम सभा को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च के लिए यदि ग्राम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई तो सरपंच का पद स्वतः ही रिक्त घोषित माना जायेगा।
- ग्राम सभा में 1/10 मतदाता मौजूद होने चाहिए।
- ग्राम सभा की बैठक में आय–व्यय का लेखा, बजट, आगामी वर्ष में प्रस्तावित विकास कार्य (योजनाएँ), ऑडिट एतराज एवं उनके उत्तर तथा गाँव की अन्य सार्वजनिक समस्याओं पर विचार–विमर्श होगा।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन भी ग्राम सभा द्वारा ही किया जायेगा।
- ग्राम सभा के द्वारा विचार–विमर्श एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं की क्रियान्विति।
- बजट के अनुसार व्यय किया जायेगा।
- यदि बजट अथवा योजना में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है तो दूसरी ग्राम सभा की बैठक में उसको पारित कराना होगा।

- विकास अधिकारी या उसके द्वारा नामांकित प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की बैठक में भाग लेंगे और उसकी सही कार्यवाही बैठक रजिस्टर में अंकित कर जिम्मेदार होंगे।

6. सतर्कता समिति

धारा 3 के अनुसार,प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा सतर्कता समिति का गठन करेगी, जिसमें ऐसे चुने हुए व्यक्ति होंगे जिनमें जनता का विश्वास हो। उनकी यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राम सभा के निर्देशों के अनुसार देखें कि ग्राम पंचायत योजनाओं की एवं नये कार्यक्रमों की क्रियान्विति ठीक प्रकार से करती है अथवा नहीं। इसकी समीक्षा रिपोर्ट आगामी ग्राम सभा के समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार सतर्कता समितियाँ ग्राम पंचायत के कार्यों पर ग्राम सभा के माध्यम से नियंत्रण रख सकेंगी।

7. पंचायत चुनाव

- लोकसभा एवं विधानसभा की तरह धारा 17 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से अब पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद के भी चुनाव हुआ करेंगे।
- जिस प्रकार लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग है,इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के भी हर 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग स्थापित होगा। इस संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नियमित रूप से चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का श्री अमरसिंह राठौड़ की अध्यक्षता में गठन किया है। तथा आयोग ने अपना कार्य सुचारु रूप से शुरू कर दिया है।
- राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होगी कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दे, ताकि निर्धारित समय पर नई पंचायती राज संस्थाएँ गठित हो सकें। यदि किसी कारणवश पंचायत भंग हो तो अधिकतम 6 माह की अवधि में नई पंचायत आवश्यक रूप से चुनाव धारा 17(3) के अनुसार गठित करनी होगी।

8. सीधे चुनाव

- राज्य में अब तक केवल पंच और सरपंचों के ही सीधे चुनाव होते थे। लेकिन अब धारा 13 एवं 14 के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य भी विधायक की तरह सीधे मतदाताओं द्वारा चुने जायेंगे।
- नई व्यवस्था में पंचायती राज के प्रत्येक जन प्रतिनिधि को सीधे रूप से जनता से निर्वाचित होकर आना पड़ेगा।
- ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच का चुनाव पूर्व की भांति सीधी मतदान प्रणाली से होगा।
- पंचायत समितियों के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा तथा पंचायत समिति के लिए सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव किया जायेगा।
- जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव भी मतदाताओं द्वारा सीधी मतदान प्रणाली से होगा और इन सीधे रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किया जायेगा।
- धारा 19 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में 25 वर्ष की बजाय 21 वर्ष की आयु वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे।
- नई पंचायती राज व्यवस्था में अब सरपंच पंचायत समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य नहीं होंगे।
- विधायक भी पंचायत समिति के निर्णयों में तो हिस्से लेंगे परन्तु वे प्रधान व उप प्रधान के चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे।
- विधायक एवं संसद सदस्य जिला परिषद की बैठकों में भाग लेंगे, लेकिन जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव या अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे।

9. ग्राम पंचायत की संरचना

धारा 12 के अनुसार सरपंच के अलावा 3000 तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में कम से कम 9 वार्ड मैम्बर निर्वाचित होंगे। 3000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में हर 1000 की जनसंख्या या उसके किसी भाग पर 2–2 अतिरिक्त सदस्य चुने जायेंगे। यदि किसी पंचायत की जनसंख्या 4200 है तो प्रथम 3000 पर 9, दूसरे 1000 पर अतिरिक्त 2 तथा शेष 200 पर भी अतिरिक्त 2 पंच अर्थात् कुल 13 वार्ड पंच व एक सरपंच उस पंचायत में चुने जायेंगे।

10. पंचायत समिति की संरचना

धारा 13 के अनुसार एक लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम 15 सदस्य चुने जायेंगे। प्रत्येक 15 हजार या उसके किसी भाग पर 2–2 अतिरिक्त सदस्य निर्वाचित होंगे। यदि किसी पंचायत समिति की जनसंख्या 1,35,000 है तो प्रथम एक लाख पर 15 सदस्य, दूसरे और तीसरे 15–15 हजार पर 2–2 सदस्य तथा शेष 5 हजार पर भी 2 सदस्य– कुल 21 सदस्य उस पंचायत समिति में होंगे। एक या दो उस क्षेत्र के विधायक भी उस पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो सदस्य होंगे।

- सरपंच न तो पंचायत समिति के सदस्य होंगे और न ही प्रधान/उप प्रधान के चुनाव में भाग लेंगे।

11. जिला परिषद की संरचना

धारा 14 के अनुसार 4 लाख तक ग्रामीण जनसंख्या हेतु 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। प्रत्येक अतिरिक्त एक लाख या उसके किसी भाग पर 2–2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। यदि किसी जिला परिषद् के क्षेत्र की जनसंख्या 5,20,000 है तो प्रथम 4 लाख पर 17 सदस्य, दूसरी एक लाख पर 2 सदस्य और शेष 20,000 पर भी दो सदस्य होंगे – इस प्रकार कुल 21 सदस्य उस जिला परिषद के होंगे। प्रमुख एवं उप प्रमुख इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से चुने जायेंगे।

- जिले के विधायक एवं संसद सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य, जिस जिले के मतदाता हों, संबंधित जिला परिषद् के सदस्य तो होंगे, लेकिन प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव या होने वाली बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।
- जिले के विधायक एवं संसद सदस्य तथा राज्य सभा सदस्य, जिस जिले के मतदाता हो, संबंधित जिला परिषद के सदस्य तो होंगे, लेकिन प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव या होने वाली बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे।
- धारा 20 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दो पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेगा। दो पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होने पर पूर्व की सीट रिक्त समझी जायेगी।
- धारा 21 के अनुसार विधानसभा सदस्य अथवा संसद सदस्य यदि सरपंच, प्रधान या प्रमुख निर्वाचित हो तो 14 दिन में विधानसभा/लोकसभा आदि से त्याग पत्र देना होगा। अन्यथा सरपंच, प्रधान या प्रमुख का स्थान रिक्त माना जायेगा।

12. आरक्षण

(अ) महिलाओं के लिए

- धारा 15 के अनुसार राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित किये गये हैं।
- एक तिहाई पंच हर गाँव पंचायत में, एक तिहाई सरपंच पंचायत समिति में, एक तिहाई प्रधान हर जिले में तथा एक तिहाई जिला प्रमुख पूरे राज्य में महिलाएँ होंगी।
- राज्य सरकार द्वारा लाटरी पद्धति से महिला वार्ड/महिलाएँ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कर दिये गये हैं।
- महिला वार्ड या महिला निर्वाचन क्षेत्र से केवल महिलाएँ चुनाव लड़ सकेंगी।
- परन्तु पुरुष वार्ड में भी महिलाएँ चाहें तो चुनाव लड़ सकती हैं।

- इस प्रकार पूरे राज्य में 3058 महिला सरपंच, 79 महिला प्रधान, 10 महिला प्रमुख एवं लगभग 1150 पंचायत समिति एवं जिला परिषद की सदस्य महिलाएँ होंगी। लगभग 30000 से अधिक महिला पंच होंगी। इस प्रकार राज्य के इतिहास में पहली बार पंचायतों के चुनावों में 34000 से अधिक महिला जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आई हैं।

(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचिति जन जाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

धारा 15 के अनुसार ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में पंचों, सरपंचों, प्रधानों एवं जिला प्रमुखों के पद भी आरक्षित किये गये हैं। पिछड़ी जातियों हेतु भी अधिकतम 15 प्रतिशत आरक्षण को ध्यान में रखते हुए लाटरी पद्धति द्वारा सभी स्तरों में आरक्षण कर दिया गया है। इसीलिए धारा 16 में सरपंच हेतु हिन्दी पढ़ने व लिखने की योग्यता की अनिवार्य शर्त अब समाप्त कर दी गई है।

13. अधिकार एवं शक्तियाँ

धारा 50, 51, व 52 के अनुसार पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अधिकार अनुसूचि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के अनुसार संशोधित किये गये हैं। जो योजनाएँ/स्कीम पंचायती राज संस्थाओं को दी जायेंगी उसके लिए पूरा स्टॉफ व बजट विभाग के मानदण्ड के अनुसार इन संस्थाओं को स्थानान्तरित होगा। पंचायती राज की संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी पैदा करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए लोग स्वयं सक्षम हों और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकें। वास्तव में नई व्यवस्था के अनुसार अब पंचायती राज संस्थाएँ न केवल राज्य सरकार की विकास एजेन्सी हैं, परन्तु वे स्वायत्त शासन की इकाइयाँ भी हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अब स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रभावी इकाई के रूप में कार्य करना होगा एवं वित्तीय तौर पर मजबूत बनना होगा।

14. जिला आयोजना समिति

धारा 121 में यह प्रावधान है कि जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र की इकाई योजना तैयार करने के लिए जिला आयोजना समिति संबंधित जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित होगी। इससे गाँव व शहरों का समन्वित विकास योजनाबद्ध तरीके से संभव हो सकेगा।

15. कर लगाने की शक्तियाँ

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्न प्रकार कर लगाने की शक्तियाँ दी गई हैं।

धारा 65 : ग्राम पंचायत द्वारा

1. भवन कर।
2. सामान व पशुओं की चुंगी।
3. वाहन कर।
4. यात्री कर।
5. पेयजल कर।
6. वाणिज्य, फसलों पर कर।

धारा 68 : पंचायत समिति द्वारा

1. भू– राजस्व पर 50 प्रतिशत सरचार्ज।
2. व्यवसाय कर।
3. प्राथमिक शिक्षा उप कर।
4. मेलों पर कर।

धारा 69 : जिला परिषद् द्वारा

1. मेलों के लिए लाईसैन्स फीस।
2. जल कर (पेय जल एवं सिंचाई हेतु)।
3. ग्रामीण क्षेत्र में विक्रय की गई सम्पत्ति की स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत सरचार्ज।
4. कृषि उपज की मार्केट फीस पर 1/2 सरचार्ज।

राज्य वित्त आयोग भी गठित हो चुका है। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा कितना प्रतिशत दिया जाए एवं पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से कैसे सशक्त बनाया जाए, इस बारे में वित्त आयोग शीघ्र सिफारिशें करेगा।

तद्अनुसार पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन भी मिलेंगे। पंचायतों को 5 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से प्रशासनिक खर्चों हेतु अनुदान राज्य सरकार देती है। आबादी, चरागाह, मेलों, दुकानों, प्राकृतिक उपज, मृत पशुओं की खाल उतारने के ठेकों आदि से आय भी बढ़ानी होगी।

16. पंचायतों के लेखों का आडिट

धारा 75(4) के अनुसार पंचायती संस्थाओं का ऑडिट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा कराया जायेगा। भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक टेस्ट ऑडिट भी कर सकेंगे।

17. पंचायत द्वारा पैनल्टी लगाने की शक्तियाँ

धारा 62 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पंचायत द्वारा दिये गये सामान्य/विशेष आदेश की अवज्ञा करता है तो पंचायत आदेश दे सकती है कि वह व्यक्ति 200/– रुपये तक पेनल्टी देगा एवं जब तक अवज्ञा चालू रहे, तब तक रुपये 10/- प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त पेनल्टी देय होगी। यह पेनल्टी राशि उसी प्रकार वसूल होगी, जैसे किसी कर की राशि वसूल होती है।

18. ग्राम सेवक व ग्रुप सचिव के कार्य

यद्यपि बैठकें बुलाने तथा रिकार्ड सही तौर से रखवाने की जिम्मेदारी पंचायत के सरपंच की होगी, परन्तु धारा 78(2) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के सचिव या किसी समूह पंचायत सचिव का सरपंच के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

* पंचायत के अभिलेख और रजिस्टर अपनी अभिरक्षा में रखना।
* पंचायत के निमित्त प्राप्त धनराशियों के लिए अपने हस्ताक्षर से रसीदें जारी करना
* पंचायत निधि के लेखा रखने के लिए उत्तरदायी होना।
* इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन अपेक्षित समस्त विवरण और रिपोर्ट तैयार करना।
* समस्त ऐसे संदाय करने, जो पंचायत द्वारा मंजूर किए जाएँ।
* ऐसे अन्य कृत्य और कर्तव्य करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन निहित या प्रत्यायोजित किए जाएँ।
* धारा 64(5) के परन्तुक अनुसार बैंक या पोस्ट ऑफिस से राशि सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही आहरण की जायेगी।

19. सरपंच/प्रधान/प्रमुख द्वारा कार्यभार सम्भालना (धारा–25)

किसी पंचायत राज संस्था के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा पद से त्याग पत्र देने अथवा हटाये जाने पर उसके कब्जे में रिकार्ड व सम्पत्ति का चार्ज न देने पर दोष सिद्ध हो, तो एक वर्ष तक कारावास अथवा 1000/– रु. जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकेगा।

20. अविश्वास प्रस्ताव (धारा 37)

पंचायती राज संस्था के 1/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पद ग्रहण बाद 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता तथा ऐसा प्रस्ताव पारित न हो तो एक वर्ष बाद ही अगला अविश्वास प्रस्ताव पेश हो सकेगा।

21. कर्तव्यों की उपेक्षा अथवा दुराचरण हेतु कार्यवाही (धारा 38)

पंचायती राज संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को लिखित ओदश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने व आवश्यक जांच के पश्चात् कार्य की अपेक्षा या दुराचरण का दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार पद से हटा सकेगी। जांच विचाराधीन रहते हुए निलंबित कर सकेगी। पद से हटाने के बाद भी जाँच करने पर दोषी पाया गया तो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव हेतु पात्र नहीं होंगे। राज्य सरकार के आदेश अंतिम होंगे। किसी न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। धारा 97 के अंतर्गत केवल राज्य सरकार को ही रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं।

धारा 111 के अनुसार यदि किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अवचार या उपेक्षा के कारण पंचायती राज संस्था को धन या सम्पत्ति की हानि होती है, तो जांच करने के पश्चात् हानि की राशि वसूल की जा सकती है।

22. तुरन्त सहायता

धारा 33 के अनुसार प्रधान 25,000/– तक व धारा 35 के अनुसार प्रमुख एक लाख रुपये तक प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वालों को तुरन्त सहायता मंजूर कर सकेंगे।

अन्य प्रावधान

पंचायती राज संस्थाओं के सभी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी जन सेवक माने गये हैं। (धारा 108)

पंचायती राज संस्था या उसके किसी सदस्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्यों हेतु कोई दावा तभी चल सकेगा जब कारण बताते दो माह का पूर्व नोटिस दिया गया हो। (धारा 109)

पुलिस अधिकारी पंचायतों के पंचों, अधिकारियों व कर्मचारियों को पंचायत के विधि पूर्ण अधिकारों के प्रयोग हेतु सहायता करने हेतु पाबन्द किये गये हैं। (धारा 110) उक्त अनुसार नया अधिनियम 23.04.95 से राजस्थान राज्य में लागू हो चुका है।

नवीन पंचायती राज से आशाएँ

1. जन सहभागिता बढ़ेगी।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के जन प्रतिनिधि भी भागीदारी होंगे।
3. विकास संबंधी निर्णयों में बड़ी संख्या में महिलाएँ जुड़ेंगी।
4. गांव की आवश्यकतानुसार विकास योजना बनेगी।
5. ग्राम सभा योजना की प्राथमिकतां तय करेगी।
6. योजना क्रियान्विति पंचायत के जनप्रतिनिधि करवाएँगे।
7. ग्राम सभा द्वारा सतर्कता, समिति निगरानी रखेगी।
8. उत्तरदायित्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, सामाजिक आर्थिक खाई पटेगी।

ग्रामीण स्वच्छता

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण अनुसार 80 प्रतिशत बीमारियों का मुख्य कारण शुद्ध पीने के पानी और स्वच्छता का अभाव है। अतिसार से ही हर साल 15 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं। मलेरिया, हैजा, कीड़ों की बीमारी, चर्म रोग आदि बीमारियां अशुद्ध पेयजल और अस्वच्छता के कारण ही होती हैं।

युवा लड़कियों और महिलाओं को शौच हेतु रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है जो कई बीमारियों को जन्म देता है। खुले में शौच जाने से व उसे मिट्टी से न ढकने से मक्खियाँ बैठती हैं, कीटाणु लाकर भोजन व खुली खाने की चीजों पर बैठती हैं। इससे भी बीमारियां फैलती हैं।

नालियाँ व सोखते खड्डे न होने से गंदा पानी जमा रहता है, उस पर भी मच्छर पैदा होकर बीमारी फैलाते हैं।

स्वच्छता सुविधाओं से निम्न तात्पर्य है :–

1. शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना। गहरे हैण्ड पंप, कुएं, टांके या नल का ही पानी पीएं। तालाब या बावड़ी का पानी नारू रोग व अन्य बीमारी का कारण बनेगा।
2. पानी साफ बर्तन में छान कर भरें।
3. घड़े में हाथ डालकर पानी न निकालें। इसके लिए लंबे हैण्डल वाली करछी काम में लेवें।
4. हैण्ड पम्प व कुएं के चारों ओर पक्का प्लेटफार्म हो। गंदा पानी बहकर सोखते खड्डे में इकट्ठा हो ताकिं मच्छर नहीं पनपें और न बीमारी फैले।
5. नहाने व कपड़े धोने हेतु हैण्डपम्प पर, कुएं पर अथवा घर में पक्का प्लेटफार्म बनाना चाहिए।
6. प्रत्येक घर में शौचालय, नहाने व कपड़े धोने का चबूतरा, नाली, सोखता खड्ड़ा, कचरा खड्ड़ा व उन्नत चूल्हा होने चाहिए। यह घरेलू स्तर पर पैकेज इकाई कहलाती हैं। चयनित गांव में कम से कम 20 इकाई बनानी आवश्यक हैं।
7. प्राथमिक शालाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय व मूत्रालय इकाइयों का निर्माण। स्वच्छता की यह शिक्षा बचपन से ही स्कूलों में दी जाए। वातावरण शिक्षाकर्मी बना सकते हैं। बच्चे शिक्षकों की सीख को वेद वाक्य मानते हैं। स्वच्छ बालक ही स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं। अध्यापक को देखना चाहिए।

पाँच प्रश्न इस प्रकार हैं :–

1. क्या शौचालय साफ और दुर्गंध रहित हैं ?
2. क्या बच्चे साबुन या राख से हाथ धोते हैं ?
3. क्या बच्चों के हाथ व नाखून साफ हैं ?
4. क्या कमरों की दीवारें व मकड़ी के जाले साफ हैं ?
5. क्या बच्चे स्वस्थ दिखते हैं ?

शिक्षाकर्मी, छात्र, अभिभावक मिलकर जिम्मेवारी तय करें। स्कूल के कोने में कचरा पात्र रखें या 1 मीटर गुणा 1 मीटर गड्ढा खोदें। उसे टाट या चटाई से ढक देवें। सभी बच्चे कचरादान में ही कूड़ा करकट फेकेंगे। इसकी जिम्मेवारी बच्चे संभालेंगे। बच्चे, बच्चों को समझाएँगे। अध्यापिका बच्चों को समझा सकती है कि कक्षा को साफ रखना उनका कर्तव्य है।

प्रार्थना के समय सबसे स्वच्छ बच्चे को बुलाकर उसके बाल, सिर, कपड़े, नाखून व पैर दिखाकर शाबासी दी जाए। सबसे स्वच्छ कक्षा को प्रोत्साहन हेतु लाल, हरा, पीला फीता दिया जा सकता है, ताली बजाई जा सकती है। सफाई मानीटर बना सकते हैं। सफाई प्रतियोगिता, लेख, कविताएँ, चित्र प्रतियोगिता, नाटक आदि आयोजित कर सकते हैं ताकि सफाई में रुचि बढ़े और गंदगी से दूर रहें।

बीमारी कैसे फैलती है

खुले में शौच जाते हैं उस पर मक्खियाँ बैठती हैं। वे कीटाणु लाकर भोजन की वस्तुओं पर बैठती हैं। ऐसा भोजन खाने से कीटाणु पेट में जाकर दस्त या अतिसार की बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए :-

1. भोजन और पानी सदा ढक कर रखें।
2. गंदी खुली चीज़ें न खाएँ।
3. शौच जाने के बाद मिट्टी से ढक दें। घर में शौचालय में ही मल त्याग करें।
4. कूड़ा करकट इधर उधर न डालकर कूड़ादान में ही डालें।
5. खाने के पहिले व शौच के बाद साबुन या राख से अपने हाथ अवश्य धोया करें।

इसी तरह तालाब या बावड़ी से पानी भरते हैं। पैरों की मिट्टी से कीटाणु जाकर जल में पड़ते हैं। वही पानी पीने से नारू रोग हो जाता है। इसलिए नल या हैण्डपम्प का ही पानी पीएँ। हैण्डपम्प या कुएं पर पक्का प्लेटफार्म न हो, नहाने व कपड़े धोने का पक्का प्लेटफार्म न हो, तो मिट्टी के कीटाणु बीमारी ला सकते हैं। नाली न हो, सोखता खड्ड़ा न हो तो गंदा पानी फैलेगा। खड़े पानी पर मच्छर होंगे। वे मलेरिया बुखार फैलाएँगे। मच्छर गंदे पानी से मलेरिया के कीटाणु लाकर हमारे शरीर के खून में प्रवेश कराते हैं।

भारत सरकार की सहायता से राजस्थान में स्वच्छता की निम्न योजना लागू है। सहायता केवल उन चयनित परिवारों को देय है जिनकी वार्षिक आय 11000/– से कम है।

क्र.सं.	योजना	लागत	अनुदान	लाभार्थी/जनसहयोग
1.	**घरेलू पैकेज इकाई**			
	व्यक्तिगत शौचालय (फ्लश टाईप)	2500	2000	500
2.	नहाने/कपड़े धोने का चबूतरा	250	125	125
3.	सोखता खड्ड़ा	250	125	125
4.	कचरा गड्ढा	मजदूरी	–	–
5.	अ. उन्नत चूल्हा छोटा	148	50 प्रतिशत लागत अधिकतम 65 रुपये	–
	ब. उन्नत चूल्हा छोटा	220	90 रुपये	–
2.	महिलाओं की सुविधा हेतु फैसिलिटी पार्क (शौचालय व स्नान घर) 48 परिवारों हेतु मय हैण्डपम्प, बिजली, बाल मनोरंजन सुविधा (भूमि 125 गुणा 120 फुट निःशुल्क पंचायत देगी)	3,30,000	2,58,000	करीब 1500 (प्रति परिवार स्वयं का श्रम व सामग्री)
3.	संस्थागत शौचालय व मूत्रालय (स्कूल व आंगनबाड़ी हेतु)	4000	2000	2000 पंचायत समिति (शिक्षा कर से भी दे सकती है)

4.	पेय जल स्रोतों पर नहाने धोने का चबूतरा, सोखता खड्ड़ा, पशु नाद व नाली निर्माण	2000	1500	500 (श्रमदान या पंचायत से)
5.	स्वच्छता सेवा केन्द्र (सामग्री विक्रय हेतु 50,000 चल पूंजी, 18,000 प्रति वर्ष प्रबन्ध हेतु 2 साल तक, 12,000 प्रचार प्रसार) दो लाख की बिक्री प्रति वर्ष करनी होगी।			

विभिन्न संस्थाएँ अध्यापकों, ग्राम सेवकों, मेड़िकल स्टाफ, कारीगरों व स्वच्छता प्रेरकों का प्रशिक्षण भी करती हैं। चयनित गांव में गरीबी की रेखा से नीचे वाले 20 चयनित परिवार स्वच्छता इकाई निर्माण हेतु तैयार हों। आदिवासी बिखरी बस्तियों में कम से कम 10 परिवार हों। दो खड्डों वाला पाईप जोड़कर प्लेटफार्म पर पैन ट्रेप फिट कर शौचालय बनता है।

राजस्थान की सभी 31 जिला परिषदों में स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक परियोजना अधिकारी है। संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वित करवाते हैं।

मातृ व शिशु कल्याण

राजस्थान में हर गाँव की आबादी में लगभग आधी से ज्यादा आबादी माँ व बच्चों की है – हर 100 की आबादी में 62 माताएँ व शिशु हैं। अतः माँ और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में बच्चे 6 जान लेवा रोग यथा – खसरा, काली खाँसी, पोलियो, टी.बी., टिटनेस, गलघोटू से पीड़ित होते हैं। इनमें से कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बाल्यकाल के इन घातक रोगों से बचाव के टीके सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों, अस्पताल एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों में निःशुल्क लगाये जाते हैं। कौनसा टीका कब लगाया जाना चाहिए उसकी सारणी प्रस्तुत है –

टीकाकरण सारणी :– कौनसा टीका कब

गर्भवती महिलाओं के लिए	उपचार	कौनसे रोग से बचाव होता है
गर्भ का पता लगते ही जितनी जल्दी हो सके	टिटनेस – का एक टीका	टिटनेस (धनुषबाय) से माँ व नवजात शिशु का बचाव होता है।
टिटेनस के प्रथम टीके के एक माह बाद	टिटनेस का दूसरा टीका	टिटनेस (धनुषबाय) से माँ व नवजात शिशु का बचाव होता है।

बच्चों के लिए :–

डेढ़ माह पर	बी.सी.जी. का टीका	टी.बी.(तपेदिक) से बचाव
	डी.पी.टी. का पहला टीका	गलघोटू, पोलियो व टिटनेस से बचाव
	पोलियो की प्रथम खुराक	पोलिया से बचाव
ढाई माह पर	डी.पी.टी. का दूसरा टीका	गलघोटू, पोलियों व टिटनेस से बचाव हेतु
	पोलियों की द्वितीय खुराक	पोलियों से बचाव
साढ़े तीन माह	डी.पी.टी. का तीसरा टीका	गलघोटू, पोलियों व टेटनस से बचाव हेतु
	पोलियों की तीसरी खुराक	पोलियों से बचाव
नौ माह पर	खसरे का टीका	खसरे से बचाव
16 से 24 माह के बीच	डी.पी.टी.(बूस्टर) का टीका (एक)	खसरे से बचाव
	पोलियो (बूस्टर) की खुराक (एक)	खसरे से बचाव

नोट :– यदि शिशु का जन्म अस्पताल क्लिनिक में हुआ है तो उसे जन्म के समय बी.सी.जी. का टीका लगावें। बच्चे को डी.पी.टी. के तीन टीके व पोलियो की तीन खुराकें दी जानी चाहिए। यदि किसी टीके/खुराक के लिए आपको देरी हो जाए, तो भी आप इसे जरूर लगवायें। इस विषय में अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता से सलाह लें।

गर्भावस्था में देखभाल

आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व दाईयों द्वारा माताओं को दिये जाने वाले संदेश :-

01. गर्भावस्था का पता लगते ही आँगनबाड़ी बहन जी व नर्स बाई के पास अपना नाम पंजीकृत करवा लें।

02. जल्द से जल्द 1 माह के अन्तराल पर टिटनेस के 2 टीके लगवा लें।

03. चौथे माह से 100 दिन तक 1 गोली आयरन की प्रतिदिन लें।

04. गर्भावस्था के दौरान सामान्य से अधिक भोजन करें :

    (अ) जो भोजन आप प्रतिदिन करते हैं, वह अच्छा है। वह सवाया खायें।

    (ब) प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्जी जरूर खायें।

    (स) दालें उपयोगी होती हैं, उन्हें भी खायें।

    (द) यदि संभव हो तो दूध, फल, माँस, मछली, अण्डे का उपयोग करें।

05. गर्भावस्था के दौरान कम से कम तीन बार (चौथे, सातवें, नवें माह) नर्स बाई से/ चिकित्सालय में जांच करवायें।

06. प्रतिदिन थोड़ा आराम भी करें। गर्भवती महिला को भारी काम नहीं करना चाहिए।

07. गर्भवती महिला के खतरे के लक्षण :- जैसे पैर व मुँह पर सूजन, रक्त स्राव, तेज सिर दर्द, उल्टी, बांयटे आदि हो तो इसकी सूचना नर्स बाई, (ए.एन.एम.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को देनी चाहिए।

प्रसव के समय देखभाल :-

- सुरक्षित जापे के लिए सफाई के पाँच नियमों का ध्यान रखें –

    01. साथ-साथ साबुन से हाथ धोयें।

    02. जापा कराने का स्थान साफ व स्वच्छ हो।

    03. नाल काटने के लिए साफ, संक्रमण रहित ब्लेड का प्रयोग करें।

    04. नाल को ढकने के लिए साफ, संक्रमण रहित कपड़े का प्रयोग करें।

- सुरक्षित जापा (प्रसव) किट :- यथा ममता किट नर्स बहिन जी व आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के पास उपलब्ध है, जिसमें हाथ धोने के लिए साबुन व साफ, संक्रमण रहित धागा, कपड़ा व ब्लेड होती है।

- प्रसव (जापा) के समय यदि अधिक खून योनी से निकल रहा हो तो तुरन्त उसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुँचाया जाना आवश्यक है।

प्रसवोत्तर देखभाल हेतु संदेश :-

01. प्रसव के एक घण्टे के भीतर शिशु को स्तनपान करायें।

02. प्रसव के पश्चात् भी माँ को सामान्य से अधिक गर्भवती माताओं के समान भोजन करना चाहिए।

03. शल्य क्रिया से जन्में शिशुओं को भी स्तनपान जन्म के चार घण्टों के बाद शुरू करा देना चाहिए।

नवजात शिशु की देखभाल :-

01. बच्चे को माँ का पहिला दूधे जन्म के एक घण्टे के अन्दर अवश्य पिलावें।

02. बच्चे को माँ के पास ढक कर रखें।

03. जन्म से लेकर 4 से 6 माह तक स्तनपान के अलावा शिशु को और कोई आहार की आवश्यकता नहीं है। माँ का दूध सर्वोत्तम व संक्रमण रहित और सम्पूर्ण आहार है।

04. 4 से 6 माह के भीतर शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त ऊपरी आहार भी देना शुरू करें।

05. शिशु के प्रथम जन्मदिन से पूर्व सभी टीके लगवा लें।

06. यदि जन्म के समय शिशु कमजोर हो (ढाई किलो से कम वजन) तो उसे विशेष देखभाल की आवश्कता होती है। आवश्यकता होने पर नर्स बहिन जी अथवा चिकित्सक से सलाह लें।

दस्तरोग में देखभाल :-

01. दस्त प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद घरेलू पेय पदार्थ जैसे – छाछ, दाल का पानी, चावल का माड, चाय इत्यादि का अधिक उपयोग करें। यह निर्जलीकरण से बचाता है।

02. बच्चे को सामान्य भोजन देते रहें। बीमारी के ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक सामान्य भोजन से अधिक भोजन देवें। जो बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है।

03. ओ.आर.एस. का घोल पिलायें। यह पैकेट स्वास्थ्य केन्द्र व आँगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध है। एक ओ.आर.एस. का पैकेट एक लीटर साफ पानी में, साफ बर्तन में घोल कर पिलावें। बना हुआ घोल 24 घण्टे के अन्दर– अन्दर काम में लेवें।

04. 48 घण्टे में सुधार न होने पर अथवा गंभीर लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सक को दिखावें।

खाँसी, जुकाम में देखभाल :-

01. सामान्य खाँसी, जुकाम में मात्र घरेलू देखभाल पर्याप्त है (दवा की आवश्यकता नहीं होती)

    (अ) अधिक पेय पदार्थ देवें

    (ब) सामान्य भोजन देते रहें

    (स) आवश्यकता होने पर बुखार की गोली देवें व खाँसी के लिए घरेलू उपचार देवें।

    (द) बच्चे के स्वास्थ्य पर निगरानी रखें। निमोनिया के चिन्ह प्रकट हों तो स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की सहायता से उपचार देवें।

खाँसी, जुकाम वाले बच्चों में निमोनिया की पहचान :-

01 **तेज सांस चलना**

(अ) दो माह से कम उम्र के शिशु/बच्चे की सांस की गति 60 प्रति मिनिट या इससे अधिक।

(ब) दो माह से एक वर्ष तक के उम्र के बच्चे की सांस की गति 50 प्रति मिनिट या इससे अधिक।

(स) एक साल से पाँच वर्ष तक उम्र के बालक की सांस की गति 40 प्रति मिनिट या इससे अधिक।

02 पसला चलना

पसली चलने की स्थिति में या अन्य गम्भीर लक्षण प्रकट होने पर तुरन्त अस्पताल के चिकित्सक से सम्पर्क करें।

शिक्षाकर्मी महिला पंचों की सहायता से महिलाओं की हर माह बैठक आयोजित कर व ए.एन.एम. को बुलाकर महिला समाज को लाभान्वित करावें।

स्वास्थ्यकर्मी योजना :-

राजस्थान के दूर-दराज के क्षेत्र, जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं, उन गाँवों हेतु स्वास्थ्यकर्मी योजना बनी है। स्वयंसेवी संस्थाएँ जन सहभागिता के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी, महिला कार्यकर्त्ता प्रत्येक गाँव हेतु नियुक्त करेंगी। वे प्रशिक्षित दाई भी हो सकती हैं। इनको 2-3 माह का सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित गाँवों में ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन होगा।

मुख्य कार्य :-

01. सामान्य रोगों का उपचार। एक बार दवाईयाँ विभाग द्वारा मुफ्त दी जायेंगी। संस्था कीमत पर दवाईयाँ बेचेंगी व नई दवाईयाँ खरीदती रहेंगी।

02. बच्चों व माताओं का स्वास्थ्य व टीकाकरण।

03. परिवार कल्याण।

04. ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जन सहभागिता बढ़ाना।

5-6 गाँवों पर एक स्वास्थ्य सहयोगी होगा। 25-30 गाँवों पर स्वास्थ्य समन्वयक होगा। सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु समयबद्ध तरीके से क्रार्य योजना लागू करनी होगी।

समेकित बाल विकास सेवाएँ :-

राष्ट्रीय बाल नीति के अनुरूप बच्चों और महिलाओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवाएँ 1975 से प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र चलते हैं जहाँ पर वर्ष में 300 दिन बच्चों (0-6 वर्ष आयु) एवं गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार वितरण होता है। गरीबी के कारण पौष्टिक आहार प्रोटीन एवं केलोरी युक्त घर पर न मिलने से योजना चलती है। एक आँगनबाड़ी केन्द्र सामान्यतः 1000 जनसंख्या पर खोला जाता है। जनजाति क्षेत्र में 700 पर व आबादी बिखरी होने पर 300 की जनसंख्या पर भी केन्द्र खोला जाता है। लाभान्वित महिलाओं व बच्चों की संख्या सामान्यतः 100 होती है।

आँगनबाड़ी केन्द्र पर निम्न सेवाएँ उपलब्ध हैं।

01. पूरक पोषाहार :- सामान्य बच्चों को 65 ग्राम प्रतिदिन सत्तू/पंजीरी/मुरमुरे/एस.एफ.बी.डब्ल्यू. व तेल, अधिक कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन 120 ग्राम मुरमुरे/पंजीरी/सत्तू/एस.एफ.बी.डब्ल्यू व तेल, स्थानीय सामग्री गेहूँ, दाल, गुड़, चने आदि भी दिए जाते हैं।

02 प्रतिरक्षा :- टीकाकरण द्वारा बीमारियो से बचाव

03. स्वास्थ्य जाँच :- बच्चों व गर्भवती माताओं की डाक्टर द्वारा

04. संदर्भ सेवाएँ :- बीमारी गंभीर होने पर डाक्टर की सेवाएँ

05. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा :- स्वच्छता, उन्नत चूल्हा एवं स्वास्थ्य की शिक्षा

06. शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा :- 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में शाला पूर्व शिक्षा देकर शारीरिक व मानसिक विकास की नींव डाली जाती है।

07. यदि गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्र है तो गर्भवती माताओं और 0-6 वर्ष के बच्चों को बराबर पोषाहार रोजाना केन्द्र पर जाकर लेना चाहिए।

08. हर माह स्वास्थ्य जाँच में जो बच्चे कमजोर पाए जाते हैं उन्हें दुगना पोषाहार दिया जाता है। शिक्षाकर्मी को चाहिए कि आँगनबाड़ी केन्द्र से नियमित रूप से 100 माताओं व बच्चों को लाभान्वित करवाए। पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधियों हेतु न्यूनतम एक तिहाई पद आरक्षित होने से महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य कुपोषण से बचाव और शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

09. बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु खिलौना बैंक योजना भी लागू है। पढ़ाई किट भी वितरण किया जाता है। सुरक्षित मातृत्व व शिशु कल्याण, योजना का मुख्य उद्देश्य है।

महिला स्मृद्धि योजना :–

भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 2 अक्टूबर, 1993 से महिला स्मृद्धि योजना शुरू की गई। डाकखानों के माध्यम से यह महिलाओं हेतु अल्प बचत एवं स्मृद्धि की योजना क्रियान्वित होती है।

प्रत्येक ग्रामीण वयस्क महिला को डाकखाने में अपना महिला स्मृद्धि योजना खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक वर्ष में 300 रुपए तक की राशि, जो पूरे साल तक जमा रही हो, उस पर सरकार 25 प्रतिशत राशि अर्थात् 75 रुपए जोड़कर देती है। इस योजना से महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

भारत देश की गिनती विश्व के गरीब और पिछड़े देशों में ही होती है। सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा नहीं है। हालांकि आजादी के बाद भारत में विकास हुआ है, खेती की पैदावार व सिंचाई के साधन बढ़े हैं, नए उद्योग लगे हैं, खनिज व विद्युत का भी विकास हुआ है, परन्तु फिर भी गरीबों की संख्या कमे नहीं हुई है। विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन कम हैं। राजस्थान का दो तिहाई भाग रेगिस्तानी क्षेत्र है, वर्षा अनिश्चित होने से एक फसल भी हमेशा अच्छी नहीं होती है, अकाल की छाया मंडराती ही रहती है।

भारत सरकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित है। इसमें निम्न प्रकार की योजनाएँ हैं :-

क.

1. पशुपालकों को भैंस, गाय, बकरी, भेड़, सूअर, गधा, ऊंट आदि क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान दिलाकर आय के स्रोत बढ़ाना।
2. किसान व मजदूरों को बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी, बैल गाड़ी, डीजल या इलेक्ट्रिक पम्प सेट हेतु बैंक ऋण व अनुदान देकर रोजगार के साधन व उत्पादन वृद्धि कर आय बढ़ाना ताकि जीवन स्तर ऊंचा उठे।
3. कारीगरों जैसे बुनकरों को कर्घा व कर्घाकर हेतु, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, चमार को ऋण धंधे हेतु।
4. विभिन्न कुटीर उद्योगों जैसे दरी बनाना, सूत या मूंज की रस्सी, सिलाई, कसीदाकारी, रंगाई छपाई, कम्बल, गलीचे, रुई पिनाई, तेल घाणी, आटा चक्की, मसाला पिसाई, चावल दाल इकाई, दोना पत्तल, पत्थर की मूर्ति व खिलौने, बांस की वस्तुएँ, सीमेन्ट जाली, बीड़ी, झाड़ू, मोर पंखी, साबुन आदि हेतु निर्धारित राशि में ऋण अनुदान दिलाकर आय के साधन बढ़ाना।
5. विभिन्न धंधों, व्यापार, दुकान हेतु ऋण अनुदान जैसे मिठाई, चाय, पान, सब्जी, किराना, कपड़ा, टेंट हाऊस, सौंदर्य प्रसाधन (चूंड़ी, पाऊडर आदि) खिलौने, किताबें, स्टेशनरी, फोटोग्राफी, लाण्ड्री, मिट्टी का तेल, लोहे की चद्दरें, बर्तन, सैनीटरी का सामान, पटाखे, अगरबत्ती, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकार्डर, साईकिल, पेन्टर आदि आदि।
6. तकनीकी काम जैसे बिजली का सामान, एम्पलीफायर, टर्नर, वेल्डर, घड़ी मरम्मत, बैट्री चार्जर, मोटर वाईडिंग, हैण्ड पम्प व डीजल पम्प रिपेयर, छापा खाना आदि आदि।

पात्रता

ग्राम सभा द्वारा चयनित परिवार जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम हो, गरीब माने गए हैं। इनकी सूचीं ग्रामवार हर पंचायत समिति में छपाई हुई है। उन्हीं परिवारों को ऋण की निर्धारित राशि बैंक से दिलाई जाती है। आसान किश्तों में उसे लौटाना होता है। ग्राम सेवक व पटवारी भूमि व अन्य स्रोतों की आय जोड़कर सूची ग्राम सभा में पेश करते हैं। शिक्षाकर्मी यह ध्यान रख सकता है कि गरीब परिवारों को सरपंच/ ग्राम सेवक से मिलावे। उन्हें ग्राम सभा की बैठक के समय चयन सूची में शामिल कराने का प्रयास करें।

अनुदान

इकाई लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 4000 रुपये तक सवर्ण जाति को, तथा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 6000 रुपये तक अनुसूचित जाति व जनजाति को अनुदान देय है। अनुदान बैंक में जमा करा दिया जाता है, उतना ऋण कम हो जाता है।

अन्य शर्तें

लाभान्वित परिवारों में 40 प्रतिशत महिलाएँ, 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा 3 प्रतिशत विकलांग अनिवार्य रूप से लाभान्वित होने चाहिए।

ग्राम सेवक ऋण प्रार्थना पत्र भरकर संबंधित बैंक शाखा में पहुँचाते हैं। बैंक मैनेजर योजना की लाभदायकता देखकर निर्धारित राशि भुगतान करते हैं।

पशु क्रय हेतु विकास अधिकारी कमेटी बनाकर व्यवस्था करते हैं। रोजगार के साधन बराबर खरीद कर अच्छी देख रेख की जाए तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी व रोजगार मिलेगा तथा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।

इकाई लागत

विभिन्न रोजगारों, उद्योगों व व्यापार धंधों की इकाई लागत निम्न प्रकार निर्धारित है जो समय- समय पर संशोधित की जाती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास एवं अन्त्योदय योजना के तहत अनुमोदित इकाई लागतों की सूची

क्र.सं.	नाम इकाई	लागत
1.	भैंस यूनिट (मुर्रा) (2 + 1)	7800 प्रति भैंस
2.	भैंस यूनिट (देशी) (2 + 1)	8000
3.	गाय इकाई (कांकरेज) (2 + 1)	6000
4.	गाय इकाई (राठी) (2 + 1)	10000
5.	गाय इकाई (शंकर) (2 + 1)	12000 से 18000
6.	बकरी यूनिट (20 + 1)	5750
7.	भेड़ यूनिट (30 + 1)	14220
8.	शुकर विकास	1900
9.	गधा इकाई	3000
10.	ऊंट इकाई	6000
11.	बैल गाड़ी	6000
12.	भैंसा इकाई	2000
13.	कुक्कुट विकास	9000
		(100 मुर्गियां)
		18000
		(200 मुर्गियां)
14.	बतख इकाई	7840
15.	बैलगाड़ी	4000 से 5350
16.	ऊंटगाड़ी	4000 से 6350
17.	भैंसागाड़ी	2900 से 5900

नोट

1. निर्धारित राशि में दो भैंस या गाय पहिले दिलाई जाती हैं। 6 माह बाद तीसरी भैंस/गाय भी 95–96 से दिलाई जाएगी।
2. एक ही परिवार के 3 सदस्य यदि चयनित सूची में हैं, तो उन सभी को ऋण दिलाने हेतु एक ही प्रार्थनापत्र तैयार होगा। ऋण राशि कम से कम 20,000 होगी।
3. 20 बकरी व 1 बकरा, 30 भेड़ व 1 रैम इकाई होती है।

1	2	3
18.	डीजल पम्पसैट	
	5 एच.पी.	9650
	6.5 एच.पी.	11050
	8 एच.पी.	11950
	10 एच.पी.	13050
19.	विद्युत पम्पसेट	
	3 एच.पी.	11600
	5 एच.पी.	12800
	7.5 एच.पी.	15350
	10 एच.पी.	17900
20.	(अ) सिलाई, रेडीमेड वस्त्र दुकान	12400
	(ब) सिलाई दुकान (ग्रामीण 2 मशीन)	6000
	(स) सिलाई दुकान (ग्रामीण 1 मशीन)	3000
21.	(अ) ग्रामीण एम्ब्रायडरी एवं कशीदाकारी	6500
	(ब) सिलाई एवं एम्ब्रायडरी की दुकान	5000
	(स) ग्रामीण एम्ब्रायडरी	8700
	(द) जरी एवं कशीदाकारी	9600
	(य) आरी तारी कार्य	5400
22.	(अ) चादर बुनाई	6600
	(ब) हैण्डलूम कपड़ा / चादर बनाना	6500
23.	(अ) तौलिया बनाना	8165
	(ब) जैकाईलूम से तौलिया बनाना	14250
24.	सूती रस्सी बनाना	24000
25.	(अ) दरी बनाना (ग्रामीण क्षेत्र)	8950
	(ब) दरी बनाना (अर्द्ध शहरी क्षेत्र)	10750
26.	केनवास के बिस्तरबंद बनाना	22100
27.	केनवास / रेक्सीन कपड़े, चमड़े के थैले बनाना	10000

1	2	3
28.	अपहोलस्ट्री कार्य	2500
29.	रुई पिनाई एवं गद्दा / रजाई भरना	15000
30.	हौजरी शाप	3700
31.	फेरी से कपड़ा विक्रय (ग्रामीण)	5000
32.	भरत बुनाई एवं गुंथाई	7500
33.	निवार बुनना	2500
34.	(अ) निटिंग मशीन	4000
	(ब) निटिंग मशीन (ऑटो)	6000
35.	(अ) अम्बार चरखा	2150
	(ब) अम्बर चरखाउनी	1950
36.	(अ) करघा शेड	5500
	(ब) करघा बुनाई	3000
37.	(अ) कम्बल बुनाई ग्रामीण	10000
	(ब) कम्बल बुनाई शहरी क्षेत्र	20000
38.	(अ) ऊनी गलीचे बनाना ग्रामीण	5000
	(ब) ऊनी गलीचे बनाना अर्द्ध शहरी	6765
39.	नमदा उद्योग	10945
40.	(अ) केलिको छपाई	12000
	(ब) स्क्रीन छपाई कपड़े पर	17500
	(स) रंगाई व छपाई (हाथ से)	14910
	(द) रंगाई व बंधेज इकाई	6000
41.	आलू की चिप्स बनाना	11000
42.	(अ) पापड़ बनाना (शहरी क्षेत्र)	15700
	(ब) पापड़ बनाना (ग्रामीण)	3000
43.	ब्रैड, पापड़, नमकीन बिस्कुट विक्रय इकाई (ट्राई साइकिल)	3000
44.	अचार बनाना	6000
45.	पीपरमेंट / बताशा / चाकलेट बनाना	3750

1	2	3
46.	(अ) फलों का जैम / जैली बनाना	8500
	(ब) अमरूद की जैली बनाना	5000
47.	(अ) आइसक्रीम बनाना	42800
	(ब) आइसक्रीम / कुल्फी विक्रय इकाई	2500
48.	पान मसाला बनाना	9700
49.	शर्बत, सोडावाटर बनाना	6000
50.	(अ) फलों की दुकान (ट्राइसाइकिल)	2050
	(ब) फलों की दुकान (केबिन)	1950
	(स) फलों की दुकान (स्थाई)	2400
51.	मूंगफली का ठेला (ट्राइसाइकिल)	2100
52.	(अ) सब्जी दुकान (ट्राइसाइकिल)	2050
	(ब) सब्जी का ठेला	1700
53.	अंडे व उससे तैयार पदार्थों के विक्रय का ठेला	5000
54.	ढाबा इकाई	12400
55.	ठंडा पानी पिलाने की इकाई	2100
56.	डेरी बूथ	12000
57.	बेकरी	8800
58.	मिठाई की दुकान	4000
59.	(अ) चाय की दुकान (ग्रामीण)	1200
	(ब) चाय की दुकान शहरी	3250
	(स) चाय एवं शीतल पेय की दुकान (अर्द्धशहरी)	8000
60.	(अ) पान की दुकान (केबिन)	1500
	(ब) पान की दुकान (किराये की)	4500
61.	(अ) आटा चक्की 5 हा.पा.	16000
	(ब) आटा चक्की 7.5 हा.पा.	17500
62.	(अ) पिसाई की मशीन (दाल व मसाला हस्त चालित)	5500
	(ब) चावल सफाई व दाल बनाने की इकाई (हस्तचालित)	1050
	(स) पिसाई की मशीन (दाल व मसाला यंत्रचालित)	3000
63.	परतदार चावल	17710
64.	पावर घाणी	20300
65.	(अ) ग्रामीण किराना दुकान	5500
	(ब) किराना दुकान (अर्द्धशहरी क्षेत्र)	8500
	(स) किराना एवं जनरल दुकान	15000
66.	साइकिल पर गांवों से दूध इकट्ठा करना	4000
67.	(अ) लुहार (ग्रामीण)	2000
	(ब) लुहार (अर्द्धशहरी क्षेत्र)	10250
68.	(अ) बढ़ई (ग्रामीण)	3000
	(ब) बढ़ई (अर्द्धशहरी क्षेत्र)	9000
69.	(अ) कुम्हार (ग्रामीण)	6000
	(ब) कुम्हार (अर्द्धशहरी क्षेत्र)	8000
70.	सुनार इकाई	4200
71.	(अ) जूते बनाना	11500
	(ब) ग्रामीण मोची	2800
	(स) चर्म रंगाई (पारम्परिक तरीकों से)	8400
	(द) बूट पालिश (पेड़ की छाह में)	170
72.	(अ) नाई की दूकान (ग्रामीण क्षेत्र)	3000
	(ब) नाई की दुकान (अर्द्ध शहरी क्षेत्र)	9000
73.	ऊंट / बैलगाड़ी बनाना	11000
74.	परिवहन हेतु तिपहिया ठेला	1000
75.	साईकिल रिक्शा	2400
76.	ऑटो रिक्शा	36300
77.	गधा गाड़ी	3500
78.	घोड़ागाड़ी / घोड़ा तांगा	8500
79.	(अ) ग्रामीण साइकिल एवं मरम्मत दुकान	4000
	(ब) साइकिल एवं मरम्मत दुकान (अर्द्धशहरी)	5500
80.	कम्प्रेशर मशीन व टायर ट्यूब मरम्मत	10000
81.	आटो मैकेनिक शॉप	5500
82.	जनरल मैकेनिक शॉप	7000
83.	रेफ्रिजरेटर / कूलर मरम्मत इकाई	9000
84.	(अ) हैण्डपम्प मरम्मत इकाई	3500
	(ब) पम्पसेट मरम्मत इकाई	7000
	(स) ट्रेक्टर / डीजल पम्पसेट मरम्मत व कलपुर्जे इकाई	7500
85.	रेडियो मरम्मत दुकान	4650

1	2	3
86.	(अ) घड़ी मरम्मत व कलपुर्जे (ग्रामीण)	7000
	(ब) घड़ी मरम्मत एवं कलपुर्जे (शहरी)	20000
87.	बैट्री चार्जिंग मरम्मत	10700
88.	मोटर बाइण्डिंग	8000
89.	आर्क बैल्डिंग शॉप	9000
90.	टर्नर की दुकान	26200
91.	(अ) बिजली के सामान की दुकान	15900
	(ब) गैस हण्डा व बिजली सजावट की दुकान	17190
	(स) घरेलू बिजली फिटिंग सामान की दुकान	6000
92.	ग्रामीण एम्पलीफायर की दुकान	4500
93.	ग्रामीण टेन्ट हाउस	12500
94.	ग्रामीण बैण्ड	9000
95.	आरा मशीन	9400
96.	(अ) चूड़ी एवं सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान	13025
	(ब) लाख की चूड़ियाँ बनाना	6000
	(स) लाख उद्योग	2250
	(द) कांच / लाख की चूड़ियों की दुकान	4000
97.	टेल्कम पाउडर बनाना	20000
98.	सिन्दूर / कागज बनाना	11000
99.	कंघे बनाना	3800
100.	गोटा बनाना	8200
101.	हेयर आयल बनाना	10600
102.	दन्त मंजन बनाना	12500
103.	(अ) गुड़िया / खिलौना बनाना	1900
	(ब) प्लास्टिक / लेकर / रुई के खिलौने बनाना	9550
	(स) कांच के खिलौने बनाना	1900
	(द) खिलौना बिक्री इकाई (तिपहिया साइकिल)	3600
	(य) रबर के खिलौने	5000
	(र) पत्थर की मूर्ति व खिलौने	3000
104.	बांस की वस्तुएँ तैयार करना	3000
105.	स्टेशनरी दुकान	3100

1	2	3
106.	उत्तर पुस्तिका निर्माण इकाई	15600
107.	किताबों की जिल्दसाजी	10000
108.	छापाखाना (मुद्रणालय)	18500
109.	लैड पेन्सिल बनाना	11900
110.	रासायनिक स्लेट बनाना	23250
111.	रंगीन चाक बनाना	14340
112.	टाइपिस्ट जॉब	3800
113.	(अ) फोटोग्राफी दुकान	1000
	(ब) फोटोफ्रेम / जड़ाई की दुकान	2425
114.	लाण्ड्री इकाई	4730
115.	गैस के गुब्बारे (ट्राइसाइकिल)	1850
116.	मिट्टी तेल विक्रय (ट्राइसाइकिल)	2400
117.	(अ) प्लास्टिक थैले / कुर्सी बुनाई	8065
	(ब) केनिंग कार्य	525
118.	नायलोन बुनाई इकाई	25000
119.	लोहे की चद्दर की दुकान	7500
120.	(अ) लोहे के हैंगर बननाना	730
	(ब) निकिल के हैंगर बनाना	21000
121.	स्टील के बर्तनों की दुकान	10000
122.	बर्तनों पर निकिल पालिश	2400
123.	चूना/भट्टा	13900
124.	स्टोन कवैरी (पट्टी कातला विक्रय)	23000
125.	पत्थरों की खान इकाई (लीज पर)	9500
126.	पत्थर की कटाई इकाई	1200
127.	सीमेन्ट की जाली बनाना	15750
128.	सेनेटरी पाईप्स	10000
129.	फर्श घिसाई एवं पालिश इकाई	6000
130.	माइका कटिंग इकाई	4500
131.	पटाखे बनाना	9000
132.	अगरबत्ती बनाना	3800
133.	ट्रांजिस्टर के कवर बनाना	10704
134.	मोमबत्ती बनाना	7425
135.	मुड्डा मुड्डी बनाना	4500
136.	(अ) बीड़ी बनाना (ग्रामीण)	1000

1	2		3
	(ब)	बीड़ी बनाना (अर्द्धशहरी)	2000
137.	(अ)	पत्तल दोने बनाना (हाथ से)	3000
	(ब)	पत्तल दोने बनाना (मशीन से)	12000
138.	(अ)	मूंज की रस्सी बनाना (ग्रामीण)	4910
	(ब)	मूंज की रस्सी बनाना (अर्द्धशहरी)	4030
	(स)	मूंज की रस्सी बनाना (मशीन से)	5450
139.	(अ)	गारनेट के मनके बनाना (अर्द्धशहरी)	11100
	(ब)	गारनेट के मनके बनाना (शहरी)	14300
140.	शटल कॉक बनाना		2365
141.	कागज की थैली बनाना		2365

1	2	3
142.	झाड़ू पंखी बनाना	1720
143.	सीमेन्ट कट्टों के थैले बनाना	14300
144.	खस उद्योग	10000
145.	साबुन उद्योग	8400
146.	पेन्टिंग कार्य	1150
147.	साईनबोर्ड पेन्टर शाप	2250
148.	नाव इकाई	7500
149.	सिंचाई हेतु पम्पसेट (ट्राली पर)	11000
150.	मेडिकल चिकित्सक हेतु क्लिनिक स्थापित करना	24000

ख. स्वरोजगार योजना (ट्राइसेम)

1. योजना का पूरा नाम

इस योजना का पूरा नाम ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् ट्राइसेम है।

2. ट्राइसेम का उद्देश्य

ट्राइसेम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों को तकनीकी और उद्धम क्षेत्र में कुशल बनाना है। प्रशिक्षण के पश्चात् स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण और अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है।

चयन प्रक्रिया

प्रशिक्षण का चयन सम्भावित हिताधिकारियों की एक सम्पूर्ण सूची तैयार हो जाने पर खण्ड स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय

क्र.सं.	मानदेय दरें	संस्था / प्रशिक्षक को	प्रशिक्षणार्थी को
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीरी पिलानी	300/–	500/– प्रतिमाह
2.	जिला स्तरीय संस्था/ नेहरू युवक केन्द्र / कृषि ज्ञान केन्द्र	200/–	350/– प्रतिमाह
3.	मास्टर क्राफ्टसमैन (केवल द्वाकरा) महिलाओं हेतु	100/–	200/-
4.	कच्चे माल हेतु	75/– प्रतिमाह अधिकतम 600/–	
	औजार हेतु	800/–	

विकास अधिकारियों के दायित्व

1. विकास अधिकारी क्षेत्र के ग्राम सेवकों/ग्रुप सचिवों को जिले के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कौन–कौन से व्यवसायों में प्रशिक्षण चल रहा है, उसकी जानकारी देंगे।

2. ट्रायसेम में प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं के प्रार्थना पत्र विकास अधिकारियों द्वारा एकत्रित किये जायेंगे। इन आवेदन पत्रों में पात्रता की जांच की जावेगी।

3. ट्रायसेम में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को भेजे जाने हेतु चयन किये जाने हेतु खण्ड स्तरीय ट्रायसेम कमेटी की बैठक आयोजित करना। इन बैठकों में चयन की कार्यवाही को सम्पादित करवाना।

4. अन्तिम रूप से चयनित युवाओं के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में व्यवसायवार तैयार करवाकर एकत्रित करना।

5. चयनित प्रशिक्षणार्थी को विभिन्न संस्थाओं को व्यवसाय के अनुसार प्रशिक्षण हेतु भेजना। प्रशिक्षणार्थी का आवेदन पत्र मय प्रमाणित फोटो कापी संबंधित प्रशिक्षण संस्था एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजना।

6. पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण का कन्ट्रोल रजिस्टर संधारित करना, जिसमें प्रशिक्षण संस्थावार एवं वर्षवार इन्द्राज करना।

7. प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त सूची का मिलान कर प्रशिक्षण के व्यय का भुगतान संस्था को करवाने की कार्यवाही करना।

8. ट्रायसेम के प्रशिक्षण केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करना और प्रशिक्षणार्थी एवं संस्था को क्रमशः वृत्तिका एवं मानदेय की अनुशंसा करना।

गरीब ग्रामीण कारीगरों को 2000/– तक के औजार कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु दिए जाते हैं। 200/– लाभार्थी व 1800/– सरकार वहन करती है।

ग. डाकरा योजना (महिलाओं हेतु प्रशिक्षण व स्वरोजगार)

ट्रायसेम की तरह ही गांव के कुशल कारीगर द्वारा 10–15 महिलाएँ किसी उद्योग धंधे का प्रशिक्षण ले सकती हैं। वे भी चयनित परिवारों की सूची में होनी चाहिए। 200/– प्रतिमाह 6 माह के प्रशिक्षण काल में उन्हें स्टाईफंड मिलेगा। हर माह 75/– रुपये प्रति महिला कच्चा माल क्रय करने हेतु मिलेगा। प्रशिक्षण समाप्ति पर 800/– के औजार मुफ्त मिलेंगे। यदि सिलाई मशीन आदि की कीमत 800/– से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महिला स्वयं भुगतान करेगी। उद्योग विभाग भी महिलाओं हेतु यह उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थाओं के माध्यम से चलाता है। प्रशिक्षण बाद प्रति महिला 1000/– रुपये की दर से अधिकतम 15000/– तक चल पूंजी के रूप में 10–15 महिला समूह के नाम पोस्ट आफिस या बैंक में खाता खोलकर राशि जमा होती है। उसी से व्यवसाय चलाती हैं। अधिक राशि की आवश्यकता हो तो बैंक से कर्जा लेकर कार्य बढ़ाएँ व बिक्री करें। जिले में यह राशि महिला विकास अभिकरण भुगतान करता है।

महिला विकास के 24 जिलों में यह योजना लागू है। अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु अनुसूचित जाति विकास निगम अन्य जिलों में भी सहायता देता है। जैसा गांव में साधन हो वैसा रोजगार। महिलाएँ समूह बनावें व तय करें। पापड़ बड़ी, कसीदा, पत्तल दोना, साबुन बाण, मोमबत्ती, अगरबत्ती, झाड़ू, बांस, बैग, फाईल, दरी पट्टी, गलीचा, अचार मुरब्बा, दुग्ध पालन कुछ ऐसे रोजगार हैं। स्थानीय हाट मेलों व प्रदर्शनी में बिक्री करें।

(क) इन्दिरा आवास योजना

1. उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे निर्धन परिवार जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, उनको इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास सुविधा हेतु 10800/– राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह भी जवाहर रोजगार योजना का ही एक भाग है।

2. किसके लिए ?

1. गृहविहीन अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य सभी व्यक्तियों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं।

2. मुक्त हुए बन्धुआ मजदूरों के लिए।

सुविधा क्या मिलेगी ?

1.. इन परिवारों द्वारा अपना मकान स्वयं बनाया जायेगा जिसमें एक कमरा व रसोई घर का निर्माण किया जायेगा। न्यूनतम 180 वर्गफुट या अधिक कुर्सी क्षेत्र में निर्माण किया जायेगा।

2. इन बनाये जाने वाले मकानों में एक स्वच्छ शौचालय व धुआं रहित चूल्हा भी होगा जिसकी लागत 1400/– रुपये है।

3. मकान अगर कॉलोनी के रूप में बनाये गये हैं तो वहाँ पर आधारभूत तथा सामान्य सुविधा जैसे (सड़क, बिजली, पानी आदि) भी दी जाती है, जिसकी लागत 3300/– रुपये प्रति मकान तक हो।

4. आधारभूत सुविधाओं में निर्माण, बिजली की सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था, बालवाड़ी, बायोगैस व सड़क सुविधा दी जाती है।

4. लाभ कैसे प्राप्त करें ?

1. आवेदन पत्र के खाली फार्म ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. आवेदन पत्र के फार्म को भरकर वापस ग्राम पंचायत सचिव को दिये जा सकते हैं।

3. आवेदन पत्र सचिव द्वारा पंचायत समिति में गठित कमेटी में प्रस्तुत किये जायेंगे। इस कमेटी में पंचायत समिति के प्रधान अध्यक्ष तथा विकास अधिकारी, तहसीलदार और सरपंच इसके सदस्य हैं। इस कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करके जिन परिवारों की आय कम है और जो नियमों की परिधि में आते हैं, उनकों आवास गृह आवंटित किये जाते हैं।

5. विकास अधिकारी से अपेक्षाएँ

1. लाभार्थी की सहमति अनिवार्य रूप से लेवें।

2. खाली पड़े इन्दिरा आवास सहमति से अन्य को आवंटित करायें।

3. अधूरे इन्दिरा आवास को 2600/– रुपये विकास विभाग की आवासीय सहायता देकर रहने योग्य बना सकते हैं।

4. मौके पर अवश्य सत्यापन करें।

(ड) जीवन धारा योजना

1. उद्देश्य

इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा के विकास हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित परिवारों को तथा मुक्त किये गये बन्धक श्रमिकों को नवीन कुआ निर्माण हेतु पूर्ण राशि दी जाती है। यह जवाहर रोजगार योजना का ही एक भाग है।

2. किसके लिए ?

1. चयनित परिवारों की सूची में से अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवार जिनके पास 2 हैक्टर तक कृषि भूमि है।

2. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक।

3. सिंचाई साधनों के विकास हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से अनुदान नहीं लिया गया हो।

4. अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवार जिनकी कृषि भूमि 3/4 हैक्टर से भी कम होने से लाभ नहीं मिल रहा है तो अन्य कृषकों की भूमि मिलाकर समूह के रूप में नवीन कूप निर्माण कराया जा सकता है।

3. सुविधा क्या मिलेगी ?

1. नवीन कूप निर्माण हेतु पूर्ण राशि जो नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत अनुसार 28000/– रुपये तक हो सकती है। पथरीले क्षेत्र में यह राशि 32000/– तक है।
2. परिवार के सदस्यों तथा अन्य चयनित परिवारों को रोजगार की सुविधा।
3. जिनको रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा उनको मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किन्तु कार्य की मात्रा (टास्क) के अधीन दी जायेगी।

4. लाभ कैसे प्राप्त करें ?

1. ग्रुप सचिव से सम्पर्क कर आवेदन पत्र के खाली फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. आवदेन पत्र पर पटवारी से भूमि सम्बन्धी पूर्तियाँ कराकर वापस सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत को दिये जा सकते हैं।
3. सचिव, ग्राम पंचायत इन आवेदन पत्रों को विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
4. विकास अधिकारी आवेदन पत्रों पर अपनी टिप्पणी देकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे।
5. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आवश्यक जांच के बाद स्वीकृति जारी की जाती है।
6. स्वीकृति जारी होने पर आवेदन पत्र द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जावेगा, जिसका भुगतान किये गये कार्य के अनुसार समय–समय पर पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा।

5. विकास अधिकारी से अपेक्षाएँ

1. कुए वहीं खुदें, जहाँ भू–जल उपलब्ध होने के प्रमाण हों। भू–जल विभाग की राय लेना उचित होगा।
2. किश्तों का भुगतान समय पर हो ताकि काम रुके नहीं।
3. कुएं वास्तव में खुदें, इसका सत्यापन मौके पर अवश्य करें। अन्य कुएं का इन्द्राज कर गलत भुगतान हो जाने की शिकायतें मिली हैं।
4. भुगतान की राशि कनिष्ठ अभियंता के मूल्यांकन से तय करें।

(च) सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना

1. उद्देश्य

इसके अन्तर्गत कृषकों की भूमि में नदी, नालों में बहते हुए पानी, बड़े बांधों के बैक वाटर जिनमें पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है, को तकनीकी मानदण्डों के आधार पर ऊंचाई तक ले जाकर सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

2. किसके लिए ?

1. सभी श्रेणी के कृषकों के लिए जहां पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध हों।
2. योजनान्तर्गत 10 या 10 से अधिक कृषकों के समूह को लाभान्वित किया जाता है।

3. सुविधा क्या मिलेगी ?

1. लघु एवं सीमान्त कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान।
2. मध्यम (2 से 4 हैक्टर तक) को साढ़े 33 प्रतिशत अनुदान।

3. मध्यम व बड़े कृषकों को बैंक से ऋण की सुविधा । (संशोधित योजना में 80% अनुदान)

4. योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन कृषकों द्वारा चयनित कमेटी द्वारा किया जाता है ।

5. विद्युत विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जलोत्थान सिंचाई योजना का विद्युत कनेक्शन देने का प्रयास किया जाता है ।

4. लाभ कैसे प्राप्त हो ?

1. उपर्युक्त जल स्रोत के स्थल के प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रेषित करना होता है ।

2. प्रस्ताव अभिकरण में प्राप्त होने पर तकनीकी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है ।

3. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को सीधे व जनजाति क्षेत्र में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से प्रेषित की जाती हैं ।

4. तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् मैसिंव/स्टेट बजट/टाडा/माडा/बिखरी मद से अनुदान उपलब्ध कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाता है ।

5. 10 प्रतिशत राशि कृषकों को अपने सहयोग के रूप में मजदूरी/नकद राशि के रूप में जमा कराना होता है ।

6. योजना का रख रखाव व संचालन कृषकों की समिति द्वारा सम्पादित किया जाता है ।

5. विकास अधिकारी से अपेक्षाएँ

1. क्षेत्र का सर्वे कर व्यर्थ जल का उत्पादन हेतु उपयोग करवायें ।

2. योजना बराबर चालू रहे, इस हेतु बराबर सहयोग एवं सलाह देते रहें ।

(छ) निःशुल्क भूखण्ड आवंटन

पंचायत सामान्य नियम 267 (1) व (2) के तहत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों को पंचायत 150 वर्ग गज आवासीय भूखण्ड निशुल्क आवंटित करती है ।

शर्तें :-

1. परिवार की वार्षिक आय 4200/- से कम हो ।

2. अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त कृषक (6 1/4 बीघा से कम कृषि भूमि) जिसके पास भूखंड न हो, अनुपयुक्त हो या बाढ़ से ध्वस्त हो ।

3. आरक्षण 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों हेतु / 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश कर ऐसे व्यक्ति निःशुल्क भूखंड आवंटित करा सकते हैं जो 18 साल से बड़ा हो व खुद का मकान न हो ।

(ज) आवासीय सहायता

गरीब को छप्पर बीस सूत्री योजना के अन्तर्गत कच्चे झूंपे या पक्की छत । टीन छप्पर निर्माण हेतु 2600/- सहायता मिलती है । राशि नकद या टीन की चद्दर आदि सामग्री के रूप में दी जा सकती है ।

1. परिवार की वार्षिक आय 4200/- रु. से अधिक न हो ।

2. आरक्षण 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हेतु, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति हेतु पंचायत / ग्राम सेवक के मार्फत पंचायत समिति से आवासीय सहायता प्राप्त की जा सकती है । राशि जिला स्तर पर दी जाती है जो पंचायत समिति द्वारा योजना क्रियान्विति करते हैं ।

(झ) जनता आवास योजना

चयनित गरीब परिवार 6200/– अल्प बचत योजना के रूप में 15 साल तक जमा करावें, उन्हें सरकार भवन निर्माण हेतु 11200/– राशि देगी व 15 साल बाद ब्याज व मूल राशि 6200/– की बजाए करीब 14000/– पुनः भुगतान करेगी। पंचायत समिति जनता आवास योजना लागू करेगी।

(ण) मैंसिव कार्यक्रम

लघु व सीमान्त कृषक नया कुआं बनवाने, पुराना कुआं गहरा कराने, पम्प सेट क्रय करने, खेतों में नालियाँ बनाने, भूमि समतल करने आदि हेतु बैंक से ऋण अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत समिति के मार्फत बैंक से ऋण लेना होगा। जिन क्षेत्रों में भूजल का उपयोग अत्यधिक हो चुका है वे डार्क जोन कहलाते हैं। डार्क जोन में कुएं व ट्यूबवैल का ऋण देय नहीं है। खड्डे खोदकर बजरी पत्थर पाईप के माध्यम से वर्षा का पानी खड्डे में से कुएं में डालकर सूखे कुएं में भू–जल स्तर बढ़ाने की नवीन योजना भी चालू की जा रही है। 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

2. गरीबी उन्मूलन हेतु क्षेत्रीय विकास योजनाएँ

क. मरु विकास कार्यक्रम

राजस्थान के 11 मरुस्थलीय जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागोर, सीकर, चूरू, झुंझनूं, बीकानेर, श्रीगंगानगर में शत प्रतिशत वित्तीय सहायता के आधार पर निम्न विकास कार्य किये जाते हैं :–

1. भूमि विकास एवं आर्द्रता संरक्षण
2. जल संसाधनों का विकास
3. वन एवं चरागाह विकास
4. पशु जल प्रदाय योजनाएँ

वर्ष 95–96 से 100 प्रतिशत राशि विभिन्न गांवों में केवल जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर व्यय की जाएगी। भूमि का ढलान देखकर भूमि कटाव रोकने व गांव का पानी गांव में ही उपयोग में लेने के कार्य किए जाएँगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, क्षेत्र का आर्थिक विकास, एवं उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

ख. सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम

राजस्थान के 11 जिलों की 32 पंचायत समितियां जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है व 30 प्रतिशत से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, सूखा सम्भावित क्षेत्र कहलाता है। अजमेर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, सिरोही के क्षेत्रों में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से निम्न कार्य संचालित हैं।

1. भूमि विकास एवं आर्द्रता संरक्षण
2. जल संसाधनों का विकास
3. वन एवं चरागाह विकास
4. पशु जल प्रदाय कार्य

ग. मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

भरतपुर अलवर क्षेत्र की मेव बाहुलय 10 पंचायत समितियों में कृषि, पशुपालन, चिकित्सा स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण आदि विकास कार्य क्रियान्वित होते हैं जिनसे अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होता है।

घ. विभागीय योजनाएँ

कृषि विभाग द्वारा लघु व सीमान्त काश्तकारों को बूंद–बूंद प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सब्जी के बीज व खाद पैकेट निःशुल्क दिए जाते हैं।

फलोद्यान हेतु फलदार 50 पौधे, अनुसूचित जाति जनजाति को निःशुल्क दिए जाकर प्रति पौधा रख रखाव अनुदान भी दिया जाता है।

सिंचाई वं बिजली विकास की योजनाओं में रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध होते हैं। इनसे क्षेत्र के विकास, उत्पादन में वृद्धि व गरीबी उन्मूलन में भी लाभ होता है।

विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभ लेने हेतु क्षेत्र के कृषि अधिकारी या पशुपालन अधिकारी से आवश्यकतानुसार लाभ ले सकते हैं।

ङ. ग्रामीण विकास केन्द्र

प्रत्येक पंचायत समिति में 5 गांवों का चयन किया जाकर अधिकाधिक आधारभूत सुविधाओं सड़क, अस्पताल, स्कूल, पशु चिकित्सालय, पोस्ट व तार एवं टेलीफोन सुविधा आदि का विकास किया जाता है ताकि ग्रामवासी शहरों की तरह सभी सुविधाएँ गांव में ही प्राप्त कर सकें।

एक आदर्श गांव प्रत्येक जिले में चुनकर 5 लाख रुपए भौतिक विकास हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं।

ग्रामीण रोजगार हेतु योजनाएँ

राजस्थान के किसी भी गाँवों में मुख्य समस्या रोजगार उपलब्ध नहीं होने की सामने आती है। इसका शीघ्र हल भी दिखाई नहीं देता। रोजगार की समस्या मुख्यतः तीन प्रकार की पाई जाती है –

1. बेराजगार श्रमिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। वर्षा ऋतु में या अन्य फसल के मौसम में कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत रहते हैं, शेष अवधि में रोजगार की तलाश में रहते हैं।
2. शिक्षित बेरोजगार युवक जो मजदूरी नहीं कर सकते।
3. महिलाएँ जो रोजगार चाहती हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को ट्रायसेम योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण आई.टी.आई. में मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर ड्राइविंग आदि का प्राप्त करना चाहिए। जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्र या कृषि विज्ञान केन्द्र विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। तत्पश्चात् स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण अनुदान प्राप्त कर स्थाई रूप से बेरोजगारी का हल करना चाहिए।

अन्य बेरोजगार लोग जो पशुपालन, उद्योग– धन्धे, व्यापार, दुकानदारी द्वारा स्थाई रोजगार कर सकते हों, वे भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित ऋण अनुदान बैंक से लेकर स्थाई रोजगार प्राप्त कर गरीबी दूर कर सकते हैं।

महिलाएँ भी गाँव में ही 10–15 महिलाओं का समूह बनाकर गाँव में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार काम तय करें। यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो किसी कुशल कारीगर से महिला विकास विभाग ट्रायसेम योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यवस्था करवाएगा। प्रचेता ग्राम स्तर पर महिला कार्यकर्ता होती है। जिला विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी (द्वारका) प्रशिक्षण व रोजगार व्यवस्था महिला समूहों की करवाती हैं।

शेष बेरोजगार जो प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार में रुचि नहीं रखते तथा अधिकतर कृषि श्रमिक है और केवल मजदूरी द्वारा ही रोजगार चाहते हैं, उनके लिए मुख्य रूप से निम्न योजनाएँ है।

1. जवाहर रोजगार योजना –

उद्देश्य :– ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। रोजगार के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए इस योजना को ग्राम पंचायतों एवं विभागों के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित/जनजाति व मुक्त बन्धुआ मजदूरों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने के कार्यों, सामुदायिक महत्व के निर्माण कार्यों आर्थिक रूप से उत्पादकता वाले कार्यों एवं सामाजिक वानिकी कार्यों को लिया गया है। अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। पूर्व में यह योजना एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी. के नाम से संचालित होती थी।

2. किसके लिए :–

1. इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
2. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों में से 30 प्रतिशत महिलाओं को लगाने का प्रयास किया जाता है।
3. गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों के उपलब्ध नहीं होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति व मुक्त बन्धुआ मजदूरों के भूमिहीन व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता है।
4. उपरोक्त चारों प्रकारों के व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने पर अन्य ग्रामीण मजदूरों को कार्य पर लगाया जाता है।

3. सुविधा क्या मिलेगी :-

1. जवाहर रोजगार योजना के कार्यों पर नियोजित श्रमिकों का भुगतान इसी योजनान्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाता है जो कि कार्य की मात्रा (टॉस्क) से जुडी हुई है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी 32/- रु. प्रतिदिन निर्धारित है। योजना में कुल आवण्टित राशि का 60 प्रतिशत मजदूरी घटक पर एवं 40 प्रतिशत सामग्री घटक पर व्यय किया जाता है।

2. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले श्रमिकों/लघु/सीमान्त कृषकों को आवासीय सुविधा एवं सिंचाई हेतु नलकूप निर्माण किये जाते हैं। प्रत्येक आवास निर्माण पर राशि 10,800/- रु. एवं नवकूप निर्माण पर 32000/- रु. तक व्यय की जाकर सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

4. लाभ कैसे प्राप्त करें :-

1. ग्रामसभा निर्णय करती है कि कौन- कौन से निर्माण कार्य किये जाने हैं।

2. ग्राम सभा द्वारा तय किये गये कार्यों की सूची (वार्षिक कार्य योजना) का पंचायत समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। पंचायत समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति पश्चात् कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाती है।

3. कार्य स्वीकृति के बाद ग्राम पंचायत निर्माण कार्यों को चलाती है।

4. कार्यों पर लगाये जाने वाले मजदूरों का निर्धारण हेतु स्थानीय समिति सरपंच अथवा उपसरपंच, अनुसूचित जाति/जनजाति का स्थानीय वार्ड पंच, सचिव ग्राम पंचायत एवं अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्य होते हैं।

5. श्रमिकों को भुगतान एवं कार्य की देखरेख संबंधित सरपंच द्वारा की जाती है।

5. योजना के लिये जाने वाले कार्यों की सूची :-

1. सरकारी और पंचायतों की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, सड़क के दोनों ओर, नहर के किनारे व रेल्वे लाईनों के किनारे पर वृक्षारोपण का कार्य।

2. भूमि तथा जल संरक्षण कार्य एवं जल एकत्रीकरण ढाँचे।

3. सिंचाई के विस्तार हेतु लघु सिंचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण कार्य एवं खेतों की नालियों का सुधार व निर्माण।

4. बाढ़ संरक्षण, जल निकासी तथा पानी इकट्ठा करने हेतु निर्माण कार्य।

5. गाँव के तालाब का निर्माण कार्य एवं उनका नवीनीकरण।

6. अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य जो चयनित परिवारों के हैं और फालतू भूमि, भूदान भूमि और सरकारी भूमि के आवण्टियों की भूमि पर सिंचाई कुएँ एवं खेतों में नालियों का निर्माण।

7. ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

8. भूमि का विकास एवं बंजर एवं खराब भूमि को इस्तेमाल योग्य बनाना।

9. वनरोपण, भूमि तथा नमी संरक्षण करके तथा जल प्रबंध के द्वारा माइक्रो लेविल परिस्थितिक योजनाएँ बनाकर विद्यमान भूजल स्त्रोतों को बढ़ाना।

10. लक्षित समूह के लाभार्थियों के लिए कार्य शालाओं द्वारा केन्द्रों का ऐसे क्षेत्रों में निर्माण जहाँ कमजोर वर्ग आदि की जनसंख्या का बाहुल्य है।

11. पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के निर्माण कार्य जैसे औषधालय, पंचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों, शिशु गृहों, ऑगनबाड़ियों का निर्माण।

12. प्राथमिक शाला भवनों का केवल उन्हीं राजस्व गाँवों में जहाँ स्कूल स्वीकृत है किन्तु बिल्डिंग नहीं है। विद्यमान भवन में विस्तार मार्गदर्शिका में परिकल्पित सीमा तक किया जा सकता है।

13. जन शिक्षण निलयमों के लिए भवन निर्माण।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों और हैडपम्पों/नल की टूटियों के पास नालियों व पानी सोखने वाले गड्ढों का निर्माण।

15. अनुसूचित जाति/जनजातियों के सदस्यों और मुक्त बन्धुओं के लिए क्रमागत मकानों का निर्माण।

6. **विकास अंधिकारी से अपेक्षा :-**

1. रोजगार का उद्देश्य मुख्य, न कि निर्माण का।

2. रोजगार भी मिले एवं काम भी स्थाई तथा लाभदायक हो।

3. भुगतान समय-समय पर चैक से करें।

2. सुनिश्चित रोजगार योजना :-

जवाहर रोजगार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार व अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को वर्ष में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का था। सूखाग्रस्त क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं थे, ऐसे 172 विकास खण्डों में रोजगार बढ़ाने हेतु अतिरिक्त राशि दी गई है। ऐसें क्षेत्रों में गरीब परिवार के दो सदस्यों को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। इन क्षेत्रों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी लागू है। जहाँ खाद्यान्न तेल आदि सस्ते दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। बाड़मेर जिला देश का सर्वप्रथम जिला है जहाँ प्रधानमंत्री द्वारा यह प्रणाली लागू की गई थी।

3. अपना गाँव अपना काम योजना :-

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं के निर्माण हेतु जन सहभागिता के आधार पर यह योजना प्रारम्भ की गई है। अपना गाँव अपना काम योजना के तहत 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग से एवं 70 प्रतिशत राशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाते हैं।

डामर-सड़क, शालाभवन, चिकित्सालय भवन, गाँवों को जोड़ने वाली पुलिया, पंचायत भवन, शैचालय, पक्की नालियाँ व खरंजा निर्माण, पेयजल भवन, स्कूलों की चारदीवारी आदि सार्वजनिक उपयोग के काम ले सकते हैं।

कार्यों का चयन स्थानीय समुदाय, दानदाता या संस्था करती है जो जन सहयोग जमा करे। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 30 प्रतिशत राशि पंचायत समिति में जमा कराने के बाद में कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। जन जाति उपयोजना क्षेत्र डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, अरनोद व सिरोही में जन सहयोग से 20 प्रतिशत व सरकारी हिस्सा 80 प्रतिशत रहता है। इसी प्रकार जिन कार्यों की लागत 2 लाख से अधिक हो, उनके लिए भी जन सहयोग 20 प्रतिशत ही आवश्यक है।

निर्माण कार्य ग्राम पंचायत, दानदाता या स्वयं सेवी संस्था करा सकती है जो जन सहयोग एकत्र करे। मूल्यांकन कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता लागत अनुसार करते हैं। वर्ष में करीब 15 करोड़ का प्रावधान है।

4. तीस जिले तीस काम योजना :-

1. **उद्देश्य**

राज्य सरकार द्वारा 1991-92 से तीस जिले तीस काम के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस नई योजना के मुख्यरूप से निम्न उद्देश्य हैं।

1. उपलब्ध सीमित साधनों का उपयोग त्वरित व अधिकतम लाभ के लिए किया जाये।

2. जिले में विकास की सम्भावनाओं के अनुकूल एवं विनियोजन किया जाये।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9328

2. किसके लिए :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में लिफ़्ट सिंचाई योजना, फव्वारा सिंचाई योजना, बूंद-बूंद सिंचाई, पक्की नाली योजना, एनीकट निर्माण व लघु सिचाई योजना, पर्यटन विकास, पशुधन विकास, कलाभवन निर्माण, चिकित्सा भवन निर्माण, चरागाह एवं वन विकास, छारियाँ भूमि सुधार, विद्युतीकरण, पीने का पानी, सड़कें, हस्त शिल्प, परिवार कल्याण, साक्षरता, कमजोर वर्गों का निर्माण आदि विकास योजनाओं में से किसी एक प्रवृत्ति को लेकर जिले के आकार एवं कार्यक्रम की प्रकृति के आधार पर विशेष विनियोजन किया जाता है।

3. सुविधा क्या मिलेगी ?

चयनित एक प्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। व कार्य भी विभागीय नियमों के अनुसार पूर्ण करवाये जाते हैं।

4. लाभ कैसे प्राप्त करें ?

इस योजना की प्रवृत्ति का अनुमोदन जिला ग्रामीण विकास कार्यक्रम अभिकरण की शासकीय निकाय द्वारा किया जाता है। योजना संबंधी प्रस्ताव जिला कलेक्टर (आयोजना) को मय ऐस्टीमेट भिजवाये जायें। योजना के विषय में अधिक जानकारी जिला आयोजना प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है।

5. विकास अधिकारी से अपेक्षायें

चूंकि यह गतिविधि जिला स्तर पर तय होती है, विकास अधिकारी प्राथमिकता अनुसार कार्यों का चयन कर प्रस्ताव करें ताकि उक्त सुविधा से कोई क्षेत्र वंचित न रहे। इसी योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में पाँच लाख रुपये तक के कार्य करवा सकतें हैं। एक वर्ष में राज्य में करीब 25 करोड़ का प्रावधान होता है।

5. निर्बन्ध राशि योजना :-

निर्बन्ध राशि योजना के तहत प्रायः ऐसे छोटे-छोटे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जनोपयोगी कार्य कराये जाते हैं। जिन्हें अन्य योजना मदों में या तो धनराशि उपलब्ध नहीं होती या राशि अपर्याप्त होती है। शत प्रतिशत राशि राज्य योजना से दी जाती है और वर्ष में करीब 20 करोड़ का प्रावधान होता है। इस योजना के तहत मुख्यतः सम्पर्क सड़क, पुलिया, सुलभ शौचालय, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य व चिकित्सा भवन आदि का निर्माण किया जाता है। प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से जिला आयोजना अधिकारी को भेजते हैं। स्वीकृति जिला विकास अभिकरण की शासकीय समिति देगी।

6. संसद सदस्य विकास योजना :-

संसद सदस्यों के क्षेत्र में जनता की माँग पर वर्ष में एक करोड़ राशि तक के छोटे-छोटे कार्य कलेक्टर स्वीकृत करते हैं। संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जिले हेतु स्थानीय उपयोगिता के कार्यों के सुझाव दे सकते हैं।

7. जनजाति उप योजना क्षेत्र की विकास योजनाएँ :-

राजस्थान में भील, गरासिया, ड़ामोर, मीणा आदि जातियों की बहुलता वाले बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर जिले, प्रतापगढ़, अरनोद, आबुरोड पंचायत समिति क्षेत्र सहरिया विकास क्षेत्र शाहबाद हेतु केन्द्र सरकार से विशेष राशि जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु प्राप्त होती है। राज्य बजट का भी 12 प्रतिशत हिस्सा जनजातियों पर व्यय करना अनिवार्य है। सड़कें, पेयजल, आश्रम स्कूल, अस्पताल, वनविकास, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों पर भी अदिवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होता है। जयसमन्द झील में व अन्य तालाबों में मछली पकड़ने के ठेके आदिवासी मत्स्य पालक सहकारी समितियों को आवंटित कर रोजगार के स्थाई साधन उपलब्ध करवाए गए हैं।

8. माड़ा योजना क्षेत्र :-

उन आदिवासी गाँवों के समूह जहां 50 प्रतिशत से अधिक निवासी जनजाति के हैं। वहां भी विकास कार्यों पर रोजगार उपलब्ध होता है। इस प्रकार जवाहर रोजगार योजना व अन्य विकास योजनाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शिक्षाकर्मी जन सामान्य में जागृति लाकर उन्हें योजनाओं द्वारा रोजगार दिलवा सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु कपार्ट एवं स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग

सरकारी की सीमाएँ :-

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी निवारण की समस्याएँ इतनी विकट है कि सरकार केवल अपने बूते पर ही निराकरण नहीं कर पा रही है। सरकारी कर्मचारी भी अधिकतर सुविधाप्रिय है। उनमें लग्न व सेवाभावना की कमी है। उनकी सेवाएँ स्थाई रूप से सुरक्षित होने से योजना के लक्ष्यों की पूर्ति कागजी आंकड़ों में तो हो जाती है पर मौके पर लाभ दिखता कम है।

संस्थाओं का सहयाग :-

उक्त परिपेक्ष्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजनाएँ बनाकर क्रियान्विति की बात सोची गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में तो स्पष्ट रूप से नीति निर्धारित है कि गरीबी उन्नमूलन तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं को राशि आवंटन कर कार्य करवाए जाएँगे। 150 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। संस्थाएँ स्वयं भी जन सहयोग एकत्र करेगी। राज्य सरकार के सहयोगी के रूप में स्वैच्छिक संस्थाएँ काम करेगी। ग्राम स्तर के नेताओं को खुद की स्थानीय समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहयोगी बनेंगी। तकनीकी ज्ञान देकर योजनाएँ तैयार करेंगी एवं क्रियान्विति करायेंगी।

संस्थाओं हेतु मानदण्ड :-

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सहायता के लिए सूचिबद्ध करने हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित किए थे –

1. संस्था पंजीकृत हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्र में आधारित हो तथा वहाँ कम से कम तीन वर्ष से कार्य कर रही हो।
3. व्यापक उद्देश्य हो जैसे सम्पूर्ण समाज विशेष पर गरीब वर्गों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी करना।
4. कार्यक्रम क्रियान्विति हेतु लचीलापन तथा व्यावसायिक क्षमता हो।
5. धर्म जाति समुदाय का प्रतिबन्ध न हो।
6. पदाधिकारी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य न हो।
7. घोषणा करे कि ग्रामीण विकास हेतु संवैधानिक एवं अहिंसक तरीके अपनाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य में रुचि रखने वाली संस्थाएँ क्षेत्र की आवश्यकताओं व जनता की मांग अनुसार योजनाएँ तैयार कर जन सहभागिता से क्रियान्विति करें। वित्तीय सहायता केन्द्रीय स्तर पर कार्यरत संस्था कपार्ट से प्राप्त की जा सकती है।

कपार्ट से वित्तीय सहायता :-

कपार्ट स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र के विकास की उन योजनाओं हेतु वित्तीय साधन उपलब्ध करवाता है जो क्षेत्र अभी तक सरकार के लिए सुरक्षित है। ऐसी योजनाएँ जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हो व आय का सूचक हो, महिलाओं व अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार अधिकतम लाभान्वित हो, तथा न्यूनतम आवश्यकताओं आवास, पेयजल, स्वच्छता या उत्पादन से संबंधित हो।

स्वीकृत योजनाएँ :-

क्षेत्र विशेष या समस्या विशेष को ध्यान में रखते हुए कपार्ट निम्न प्रकार की प्रोजेक्ट अब तक स्वीकृत कर चुकी है :-

1. कम लागत के आवास गृह (इन्दिरा आवास)
2. शौचालय
3. स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्ड पम्प।
4. पेयजल हेतु कुएँ।
5. ट्यूबवैल।
6. सिंचाई तालाब।
7. मत्स्य पालन।
8. मुर्गी पालन।
9. रेशम कीट पालन।
10. ग्रामीण सड़कें।
11. खाद के गड्ढे।
12. विविध विकास कार्य जिनमें सामुदायिक सम्पत्ति सृजन हो तथा 60 प्रतिशत मजदूरी पर व्यय हो।

सक्रिय जनसहभागिता अनिवार्यतः होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण, कृषि पशुपालन आदि हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं की जाती है। जवाहर रोजगार योजना की शर्तों अनुसार सभी ग्रामीण विकास योजनाएँ क्रियान्विति की जाती हैं। आवश्यकतानुसार निम्न कार्यों की योजना बनाकर स्वीकृत करवाई जा सकती है।

सम्भावित योजना :-

1. भूमि विकास, भूसंरक्षण, एनीकट आदि
2. सामाजिक वानिकी, चरागाह विकास, ईंधन विकास।
3. वन विकास।
4. पंचायत घर/ औषधालय भवन निर्माण।
5. महिला विकास हेतु डाकरा योजना।
6. प्रशिक्षण जन चेतना कार्यक्रम।

योजना तैयार कर पेश करने हेतु मार्ग दर्शिका 15/- रु. बैंक ड्राफ्ट जरिए दिल्ली से मँगवा सकते हैं। पता निम्न प्रकार है :-

सूचना अधिकारी,
कपार्ट,
58, संस्था क्षेत्र, डी-ब्लॉक पंखा रोड़,
जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

5 लाख तक लागत की योजनाएँ संभागीय कपार्ट कार्यालय जयपुर से ही स्वीकृति होती है –

कपार्ट,
एस.आई.आर.डी.,
पटेल भवन, हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर – 302017

स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकार में पारस्परिक विश्वास की कमी है। सरकार संस्थाओं को सहयोगी समझें। संस्थाएं भी अच्छा काम दिखाकर विश्वासनीयता बढ़ावे, जनता की अधिकाधिक सहभागिता बढ़ावे, कार्यकर्ता तैयार करे। उन्हें प्रशिक्षण दे, स्थानीय वित्तीय संसाधन भी विकास में लगावें। अपने लेखे व कार्य पारदर्शी रखें।

ग्राम पंचायत व स्वैच्छिक संस्थाएँ स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट बनाकर कपार्ट से राशि प्राप्त कर ग्रामीण विकास कार्य कर सकती हैं जिनसे रोजगार व आय भी बढ़ेगी।

ग्रामीण विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाएँ

राजस्थान पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यप्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि राज्य का कृषि उत्पादन मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। फिर भी कृषि विकास हेतु नवीनतम ज्ञान कृषकों तक नियमित रूप से पहुँचाने वाली कृषि विस्तार प्रणाली विश्व बैंक की सहायता से अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान ही था।

हालांकि उन्नत बीज, रासायनिक खाद व पौध संरक्षण औषधियों के फलस्वरूप खाद्यान, तिलहन, दलहन में बराबर वृद्धि हो रही है। सरसों के उत्पादन में तो राज्य का देश में प्रथम स्थान है। फिर भी कृषि के क्षेत्र में राज्य की विशेष रूप से निम्न समस्याएँ हैं :-

1. बंजर भूमि
2. लवणीय क्षारीय भूमि
3. सिंचाई हेतु पानी की कमी

इनके समाधान हेतु निम्न योजनाएँ संचालित हैं।

कृषि विभाग

1. बीज अनुदान

1.	बाजरा व मक्का का प्रमाणित संकुल बीज	400 रुपये प्रति क्विंटल
2.	दलहन व तिलहन का प्रमाणित बीज	300 रुपये प्रति क्विंटल
3.	कपास के प्रमाणित बीज 10 वर्ष पुरानी किस्म	400 रुपये प्रति क्विंटल
4.	कपास के प्रमाणित बीज 10–15 वर्ष पुरानी किस्म	250 रुपये प्रति क्विंटल
5.	दलहन बीज उत्पादन हेतु	200 रुपये प्रति क्विंटल
6.	1/2 बीघा हेतु बीज वितरण (मिनी किटस)	निःशुल्क
	मक्का	निःशुल्क
	बाजरा	निःशुल्क
	1/2 बीघा हेतु बीज सोयाबीन	निःशुल्क
	" " " मूंगफली	निःशुल्क
	" " " अरण्डी	"
	" " " सूरजमुखी	"
	1 1/4 बीघा हेतु बीज मिनिकिट	निःशुल्क
	1 1/4 बीघा हेतु बीज तिल	"
	" " मूंग	"
	" " चावल	"
	" " अरहर	"
	" " उड़द	"
2.	पौध संरक्षण यंत्रों पर अनुदान	
	सघन कपास विकास	50 प्रतिशत, अधिकतम 600 रु. प्रति यंत्र

	समन्वित अनाज विकास	50 प्रतिशत, अधिकतम 600 रु. प्रति यंत्र
	दलहन व तिलहन विकास	" "
3.	उन्नत कृषि यंत्रों पर समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम अंतर्गत (लघु व सीमान्त कृषकों हेतु)	50 प्रतिशत अधिकतम 1500 रुपये
4.	चारा उत्पादन एवं कृषि वानिकी कार्यक्रम अंतर्गत कुट्टी की मशीन पर	50 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपये
5.	फव्वारा सिंचाई सेट पर	बड़ा माडल छोटा माडल
	सामान्य कृषक 33 1/3	5000 रुपये 3500 रुपये
	लघु/सीमान्त कृषक 50 प्रतिशत	7000 रुपये 4500 रुपये
	अ.जा./ अ.ज.जा. कृषक 50 प्रतिशत	7000 रुपये 4500 रुपये
6.	बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति इकाई लागत का	50 प्रतिशत अधिकतम 15000 अनुदान
7.	सिंचाई की पक्की नालियां व पाईप लाइन बिछाने हेतु	
	सामान्य कृषक	25 प्रतिशत 1200 प्रति सौ मीटर
	लघु/सीमान्त	50 प्रतिशत 1800 प्रति सौ मीटर
	अ.जा./ अ.ज.जा.	50 प्रतिशत " " "

1. **बंजर भूमि विकास :-** विभिन्न क्षेत्रों की बंजर भूमि में वन विकास, चारा विकास, ईंधन विकास, व वृक्षारोपण पर विकास की योजनाएँ बंजर भूमि विकास बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत होकर वन विभाग ही संचालित करता है।

2. **ऊसर भूमि विकास :-** लवणीय क्षारीय भूमि में जिप्सम द्वारा ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना कृषि विभाग संचालित करता है। जिप्सम की लागत करीब 500/- प्रति बीघा आती है। 50 प्रतिशत अनुदान कृषि विभाग द्वारा लघु/सीमान्त व अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों को मिलता है। भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, कोटा आदि जिलों में चालू है।

3. **फव्वारा सिंचाई योजना :-** पानी की कमी को देखते हुए फव्वारा द्वारा सिंचाई पद्धति विशेषत: उन खेतों के लिए उपयोगी है जो समतल नहीं हैं। समतल भूमि में ही नालियों द्वारा सिंचाई संभव है। ऊंचे-नीचे रेतीले भू-भागों में फव्वारा सिंचाई पद्धति से लगभग 30-40 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है। बचे हुए जल से अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई संभव है। 94-95 में 15000 फव्वारा सेट पर अनुदान दिया गया। 95-96 हेतु 20000 फव्वारा सेट लगेंगे।

   जो कृषक फव्वारा सेट लगाने में रुचि रखते हों, वे जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) से मिलकर अनुदान राशि व मार्गदर्शन प्राप्त करें।

4. **बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई योजना :-** फलों को पौधों की दूरी 5-10 मीटर होने से केवल पौधों को ही जड़ों में पानी मिले, इसलिए पाईप द्वारा सिंचाई व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि बूंद बूंद केवल पौधे को पानी मिले। व्यर्थ पानी व्यय न हो। इससे 70-80 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है। बचे जल से अतिरिक्त फलदार पौधों की सिंचाई हो सकती है। लवणीय भूमि में भी सुगमता से सिंचाई संभव है। पौधे बराबर बढ़ते हैं, फल अधिक लगेंगे व फलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। पौधों की दूरी 10 मीटर हो तो लागत 22000/- प्रति हेक्टेयर व दूरी एक मीटर ही हो तो लागत 60,000/- प्रति हेक्टेयर है। 50 प्रतिशत अनुदान है पर 15000/- से अधिक नहीं।

5. **कुआँ सुधार योजना :-** दिनों दिन गिरते भूमिगत जलस्तर में सुधार हेतु नई कुआं सुधार योजना गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अनुभव के आधार पर हाल ही में प्रारम्भ की गई है। कुएं के पास खड्डा खोदकर उसमें पत्थर, बजरी भर जी जाती है व पाईप जरिए वर्षा ऋतु में खड्डे का पानी कुएं में पहुँचाया जाता है। 240/- अनुदान कुआं सुधार हेतु देय है।

6. **अपना गाँव अपनी नाड़ी (तलाव)** :– वर्षा के पानी को गांवों की नाड़ी या तलैया खोदकर रोकने हेतु भी 90 प्रतिशत अनुदान देना प्रस्तावित है।

7. **जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना** :– जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग वर्षा के जल का उपयोग करते हुए भूमि की नमी बनाए रखने, भूमि कटाव रोकने, गाँव के पानी को तालाब, नाड़ी, एनीकट द्वारा रोककर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने का कार्यक्रम है। मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र हेतु यह अत्यन्त उपयोगी योजना हैं।,90 से 95 प्रतिशत व्यय सरकार करती है। क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी व लाभार्थी कृषकों का सहयोग इस कार्यक्रम की विशेषता है।

फलोद्यान विभाग

उन्नत किस्मों के विभिन्न फलदार पौधे निम्बू, अमरूद, पपीता, आमं, आंवला, बेर आदि क्लस्टर में लगाए जाते हैं। तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण व बागवानी औजार वितरण की व्यवस्था है। लघु सीमान्त व अजा/अजजा. कृषक को 50 फलदार पौधे निःशुल्क दिए जाते हैं। 3 वर्ष तक रख रखाव अनुदान खड्ड़े खोदने व देखभाल हेतु देय है।

पशुपालन विभाग

रेगिस्तानी क्षेत्र में कृषि के मुकाबले पशुधन ही आय का मुख्य साधन है। भेड़, बकरी से मांस व ऊन की आय होती है। गाय, भैंस दुग्ध उत्पादन द्वारा श्वेत क्रांति लाती है। उन्नत नस्ल की मुर्रा भैंस या कांकरेज, राठी, जरसी गाय दूध व उससे होने वाली आय में आशातीत वृद्धि करती है। इसलिए पशु नस्ल सुधार हेतु उन्नत सांडों का वीर्य एकत्र कर कृत्रिम गर्भाधान का ही मुख्य कार्यक्रम है।

नस्ल सुधार की दो मुख्य योजनाएँ हैं :–

1. **गोपाल योजना** :– राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, व धौलपुर कुल 10 जिलों में लागू है।

शिक्षित युवकों को पशुधन सुधार संबंधी तीन माह का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है। एक माह का प्रायोगिक कार्य चिकित्सालय प्रभारी के साथ कराया जाता है।

प्रशिक्षण अवधि में 400/– रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। प्रशिक्षण पश्चात् निम्न सामग्री दी जाती है :

हिमीकृत वीर्य स्ट्रा 300

3 लिटर एल.एन.–2 का एक जार

कुट्टी काटने की मशीन हेतु 400/– रुपये अनुदान समय–समय पर ज़िला स्तर से हिमीकृत वीर्य एवं तरल नाइट्रोजन का वितरण गोपाल इकाई को दिया जाता है।

सहायता रूप में तीन वर्ष तक निम्न प्रकार प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाती है।

प्रथम वर्ष 400 रुपये प्रतिमाह

दूसरे वर्ष 300 रुपये प्रतिमाह

तीसरे वर्ष 200 रुपये प्रतिमाह

दूसरे वर्ष बाद पशुपालकों से निर्धारित फीस लेता है। प्रत्येक बछड़ी के जन्म पर 10/– व प्रत्येक बधियाकरण पर 5/– अनुदान भी प्राप्त करता है। गोपाल को कृत्रिम गर्भाधान के उपकरण, वीर्य तथा अन्य उचित औजार सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

चयन प्रक्रिया :–

1. योग्यता आठवीं कक्षा पास
2. योजना क्षेत्र का ही निवासी

3. 20 से 25 वर्ष की आयु
4. अ.जा./ अ.ज.जा. को प्राथमिकता

पशु चिकित्सक, सरपंच व स्थानीय अध्यापक की कमेटी चयन करेगी।

कार्य :-

पशु चिकित्सा इकाई के 6-8 किलोमीटर की दूरी में करीब 2000 प्रजनन योग्य पशुओं हेतु गोपाल निम्न कार्य करता है :

1. नकारा पशुओं का शत प्रतिशत बधियाकरण
2. हिमकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान
3. चारा विकास व बीज वितरण
4. संतुलित पशु पोषाहार वितरण
5. पशु रख रखाव, कृमि नाशक दवाइयों का ज्ञान देना आदि।

2. भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान (बैफ) पशुपालन योजना :

भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान एक स्वयं सेवी संस्था है जिसका मुख्य कार्य ग्रामीण विकास है। भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान द्वारा शंकर गाय प्रजनन का कार्य किया जाता है। देसी गाय को संकर प्रजनन विधि से विदेशी नस्ल (जर्सी व हालस्टीन) के उत्तम सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ऐसे उत्पन्न संकर बच्चे प्रतिदिन 8 से 15 लीटर दूध देते हैं जबकि देसी गाय प्रतिदिन एक लीटर ही दूध देती है। भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान संस्था द्वारा ससंचालित केन्द्रों पर गाय के जाग पर सूचना दें। अपनी गाय को घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्राप्त करें। इसकी कोई फीस नहीं। केन्द्र से 15 किलोमीटर की परिधि में सेवा उपलब्ध है। पशुपालन हेतु डाक्टर घर पर देख रेख करते हैं। केन्द्राधिकारी अपने वाहन से घर आकर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जागी हुई गायों को ग्याबन करते हैं।

3. बायोगैस योजना :

बायोगैस एक ज्वलनशील गैसीय मिश्रण है जिसे मुख्यतः घरेलू ईंधन के रूप में, लैम्प जलाकर रोशनी करने एवं इंजिन चलाने के उपयोग में ले सकते हैं।

5-6 पशु जिन पशुपालकों के पास हों, वे ही लगाएँ ताकि गोबर की कमी के कारण बंद न हो जाए।

क्र.सं.	आकार	माडल व लागत		अनुदान		
		के.वी.आर.सी.	दीनबंधु	अ.जा./अ.ज.जा.	लघु सीमांत कृषक	अन्य
1.	2 घन मीटर	6500	3400	2600	2600	1700
2.	3 घन मीटर	8100	4000	3000	2100	2100
3.	4 घन मीटर	9400	5200	3000	2200	2200
4	6 घन मीटर	11200	6500	3000	2200	2200

पंचायत समिति के माध्यम से मिस्त्री आकर लगवाते हैं। 400/- फीस प्रति बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु लगती है। खराब पड़े संयंत्र 750/- में रिपेयर करते हैं।

लाभ कैसे प्राप्त करें :

1. ग्रुप सचिव/विकास अधिकारी आवेदन पत्र तैयार करेंगे ।
2. पटवारी लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र देगा ।
3. तहसीलदार अ.जा/अ.ज.जा. प्रमाण पत्र देगा ।
4. कनिष्ठ अभियंता मौके की जाँच करेंगे ।
5. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्वीकृति देगा ।
6. निर्माण अभिकरण के मिस्त्री की देख रेख में होगा ।

लाभ :

1. अच्छी खाद
2. स्वच्छ ईंधन
3. वातावरण प्रदूषण से बचाव

वन विभाग :

राष्ट्रीय वन नीति अनुसार पर्यावरण रक्षा हेतु भूमि के 33 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए जबकि राजस्थान में केवल 9 प्रतिशत वन क्षेत्र है । अधिकतर वन उजड़ गए हैं । अतः वास्तविक वन तो केवल 3 प्रतिशत क्षेत्र में ही हैं ।

वन विस्तार हेतु मुख्य योजनाएँ निम्न हैं जिनसे वन विकास के साथ- साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होता है तथा ग्रामीण विकास भी होता है ।

1. अरावली वृक्षारोपण परियोजना :

अरावली पर्वत श्रृंखला वृक्ष विहीन होने से प्रदेश सूखा एवं अनावृष्टि का शिकार हो गया । वन और वनवासी का सामंजस्य गड़बड़ा गया । अतः जापान के आर्थिक सहयोग से राजस्थान के 10 जिलों अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझनूं, नागौर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा में अरावली वनीकरण योजना लागू है । वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, कृषकों, ग्रामीणों एवं संस्थाओं को पौधों का वितरण किया जाता है ।

जन भागीदारी हेतु ग्राम्य वनसुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है । स्थानीय लोगों की राय एवं सहयोग से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वृक्षारोपण होता है । वनवासी वृक्षारोपण स्थलों से चारा, घास, सूखी लकड़ी जैसे लघु वनउपज निःशुल्क प्राप्त करते हैं । वन सुरक्षा समिति को अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा सदस्यों के माध्यम से सुनिश्चित करनी होगी । 10 जिलों के ग्रामीणों, कृषकों एवं वनकर्मियों को प्रशिक्षण एवं अरावली योजना का प्रचार प्रदर्शनी, रेडियो, दूरदर्शन एवं वार्ताओं के माध्यम से भी किया जाता है ।

2. विश्व खाद्य कार्यक्रम :

वानकी कार्यों के माध्यम से 1987 से राज्य के जनजाति बहुल व अन्य 9 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा एवं बारां क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू हुआ । 1993 में अजमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक जिले भी जोड़े गए ।

वनों में निवास करने वाले वनवासी वनों का विनाश न करें, इसीलिए वृक्षारोपण द्वारा ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया । संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह सहायता दी जा रही है ।

प्रत्येक श्रमिक की दैनिक मजदूरी से 7/– रुपये काटकर बदले में 2 किलो गेहूं, 200 ग्राम दाल, 75 ग्राम तेल दिया जाता है। शेष मजदूरी नकद दी जाती है। कूपन मिलता है जिसके बदले वितरण केन्द्र से खाद्यान्न आदि ले सकता है।

खाद्यान्न के लिए काटे 7/– रुपये में से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, हैण्डपम्प, उन्नत चूल्हा, एनीकट, सड़क विकास, विद्यालयों की चार दीवारी, कुएँ गहरे करना, पेयजल टैंक, ट्यूबवैल आदि ग्रामीण विकास कार्य करवाए जाते हैं।

अरावली वृक्षारोपण परियोजना एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम दोनों ही विदेशी संस्थाओं के सहयोग से वन विकास, रोजगार व ग्रामीण विकास का कार्य कर रही हैं।

3. सामाजिक वानिकी व ग्राम्य वन योजना :

ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा ग्राम पंचायत अपनी चरागाह भूमि में वन विभाग से वृक्षारोपण करवाती है। इस अवधि में पशुओं की चराई बंद होती है। चारा काटकर ही ले जा सकते हैं। 3 वर्ष के बाद विकसित वन ग्राम पंचायत को सुरक्षा करने एवं लघु वन उपज का उपयोग करने हेतु लौटा दिया जाता है। परन्तु देखा गया है कि वन विभाग की अपेक्षा ग्राम पंचायत वनों की सुरक्षा में अपने को असमर्थ पाती हैं।

शिक्षाकर्मी यदि इन योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों व गांववासियों को बराबर देता रहेगा, तो कृषक व पशुपालक वर्ग उसके आभारी रहेंगे, गांव का भी विकास होगा, रोजगार मिलेगा और सामान्य जन लाभान्वित होंगे व आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होंगे।

अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु कल्याणकारी एवं आर्थिक विकास की योजनाएँ

चुनावों में सीटों का आरक्षण

भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था आदिकाल से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य क्रमशः विद्या पढ़ाने, रक्षा करने व व्यापार करने के कार्य करते रहे हैं तथा शूद्र उपरोक्त इन तीनों वर्गों की सेवा करते रहे। ऐसी जातियाँ आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से अन्य जातियों की तुलना में कमजोर रह गई। इसलिए भारत के संविधान में इन जातियों को नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रावधान किया गया। पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सभी स्तर के सदस्यों, सरपंचों, प्रधानों, एवं जिला प्रमुखों के पदों हेतु सीटें आरक्षित की जायेंगी। विधानसभा सदस्य एवं संसद सदस्यों की सीटें भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी पूर्व से आरक्षित रहती हैं। इन जातियों में विशेषकर हरिजन, चमार, बुनकर, बलाई, बावरी, भांभी, जाटव, मोची, कोली, खटीक, मेघवाल, सांसी आदि– आदि आते हैं।

शैक्षणिक सुविधाएँ

राज्य सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा इन जातियों के बालकों को शिक्षा की सुविधा देने हेतु छात्रावास संचालित हैं। मुफ्त पोशाक, भोजन एवं आवास की इन छात्रावासों में उपरोक्त जातियों के बालक–बालिकाओं के लिए व्यवस्था है। स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं को भी सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण व्यवस्था की जाती है। सरकारी नौकरियों की भर्ती में 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं हेतु आरक्षित रखे गये हैं। गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र पर ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार भी उपलब्ध कराते हैं।

बस्तियों का विकास एवं अन्य सुविधाएँ

अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों व मौहल्लों में पानी की व्यवस्था, बिजली की लाईन, कुटीर ज्योति प्राथमिकता से लगाई जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिशियिन, ऑटो रिपेयर, ड्राइविंग, वैल्डिंग आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। निःशुल्क बी.एड., एस.टी.सी. प्रशिक्षण करवाकर अध्यापक भी नौकरी योग्य बनाये जाते हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण की भी विशेष व्यवस्था है।

कृषि भूमि भू–आवंटन में प्राथमिकता एवं संरक्षण

राजस्व कानूनों में अनुसूचित जाति की भूमि को कोई सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा खरीद करने पर प्रतिबन्ध है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि भूमिहीन है तो सवर्ण भूमिहीन को कृषि भूमि आवंटित नहीं होगी। यदि धोखे से या रहन रखकर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि कब्जे कर लें तो उस पर पुलिस कार्यवाही होगी। भूमि का कब्जा अनुसूचित जाति के खातेदार को सरकार वापस दिलायेगी।

इंदिरा आवास व जीवनधारा से संबंधित योजनाएँ

अनुसूचित जाति के लोगों का पक्का मकान बनाने हेतु 11,800 रुपये अनुदान व कृषि भूमि पर सिंचाई के लिए कुएं के निर्माण हेतु 32000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है।

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की योजनाएँ

1. उद्देश्य :

इस निगम की स्थापना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में 12,800 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11000 रुपये वार्षिक आय तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान करना है।

2. कार्यक्रम :

अ. कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा आय बढ़ाकर जीवन स्तर बढ़ाना।

ब. व्यक्तियों व संस्थाओं को तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय सहायता व वित्तीय सँहायता देना।

स. विभागों व वित्तीय संस्थाओं से सहयोग/ऋण लेना।

द. सदस्यों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना।

य. उत्पादित वस्तुओं के शोरूम व प्रदर्शनी आदि द्वारा विपणन व्यवस्था करना।

3. एजेन्सी :

- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
- कृषि, पशुपालन, उद्योग विभाग/संस्थाएँ
- राजस्थान हथकरघा विकास निगम
- राजस्थान लघु उद्योग निगंम
- आवास विकास संस्था/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/खादी संस्थान
- नगरपालिकाएँ

4. पात्रता :

1. अनुसूचित जाति का हो व 18 वर्ष से कम आयु का न हो।
2. चयनित परिवार की सूची में हो जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 वार्षिक से अधिक न हो।
3. गांव/क्षेत्र का मूल निवासी हो।
4. बैंक का अवधि पार ऋणी न हो।
5. पूर्व में 6000 रुपये अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।

5. वित्तीय सहायता :

किसी भी उद्योग धंधे हेतु ऋण बैंक से इकाई लागत अनुसार स्वीकृत होगा। इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि 6000/– बैंक में लाभार्थी के खाते में सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है।

6. प्रक्रिया :

1. पंचायत समिति या डी.आर.डी.ए. में प्रबंधक अ.जा. निगम से निःशुल्क प्रार्थना प्राप्त करें।
2. तहसीलदार का जाति प्रमाण पत्र
3. सरपंच का मूल निवास प्रमाण पत्र
4. चयनित सूची क्रमांक आदि संलग्न करें

5. बैंक का अवधि पार ऋण बकाया न होने का प्रमाण पत्र

6. फोटो लगाकर फार्म डी.आरडी.ए. में जमा कराऱें।

7. निगम द्वारा अनुदान स्वीकृति व बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत जारी होगी

8. बैंक द्वारा राशि भुगतान होगी

9. राशि मय ब्याज निर्धारित किश्तों में बैंक में जमा करानी होगी।

5. ग्रामीण योजनाएँ :

1. **व्यक्तिगत पम्प सेट योजना :** अनुसूचित जाति के लघु व सीमान्त कृषकों हेतु पम्प सेट, स्थाई जल स्रोत, बावड़ी, कुंआ या नदी के ऊपर लगाया जाएगा। कुएं में पर्याप्त पानी हो। डार्क व ग्रे जोन में भी पम्प सेट लगा सकेंगे।

   आई.एस.आई. मार्का पम्प सेट कृषि उद्योग निगम से ही खरीदना होगा। 5 से 10 हार्स पावर की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 6000/– अनुदान होगा, शेष ऋण होगा। खरीदने के 2 वर्ष तक अपनी भूमि की सिंचाई के अतिरिक्त किराए पर पम्प चलाकर अन्य भूमियों को भी सिंचित कर सकेगा।

2. **सामूहिक पम्प सेट योजना :** तीन से पांच लघु सीमान्त कृषकों को उनकी भूमि की सिंचाई हेतु सामूहिक पम्प सेट निःशुल्क दिया जाता है। स्थाई जल स्रोत पर हो या चलित भी पम्प सेट रख सकते हैं।

   कृषक समूह पास न्यूनतम 12 1/2 बीघा व अधिकतम 62 1/2 बीघा भूमि होनी चाहिए। पम्प आई.एस.आई. मार्का कृषि उद्योग निगम ही देगा। 5–10 हार्स पावर का होगा। हौज पाईप, फुट वाल्व, जी.आई. पाईप मय फिटिंग सामग्री उपलब्ध करवाया जायेगा। 18000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। शेष लाभार्थी वहन करेंगे। हर प्रार्थी 100 रुपये जमा करवाएगा जो रख रखाव, समिति का अध्यक्ष रखेगा। समिति के अध्यक्ष व सचिव होंगे जो मरम्मत, रख रखाव, बंटवाई का तरीका, सिंचाई लागत की वसूली आदि के लिए जिम्मेवार होंगे। प्रथम दो वर्ष तक पम्प सेट अजा. निगम की सम्पत्ति रहेगा। दो सदस्यों को कृषि उद्योग निगम मामूली सुधार व मरम्मत का प्रशिक्षण भी देगा।

3. ग्रामीण दुकान योजना :

ग्रामीण क्षेत्र में चयनित अजा. का व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय करता हो परन्तु निजी दुकान न हो, अथवा जो व्यवसाय करने का इच्छुक हो किन्तु धनराशि के अभाव में व्यवसाय नहीं कर पाते हों, उनके आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसायिक केन्द्रों पर दुकान निर्माण कराकर उपलब्ध कराने की योजना है।

भूमि ग्राम पंचायत निःशुल्क आवंटन करेगी। दुकान का माप 11 फीट लम्बा, 9 फीट चौड़ा, 10 फीट ऊंचा होगा। दीवारों की चुनाई पत्थर, ईंटों, चूने, सीमेन्ट से होगी। छत पत्थर की पट्टियों की दड़ की होगी। दीवारें दोनों ओर से प्लास्टर होंगी। सीमेन्ट कंकरीट का पक्का फर्श होगा, सामान रखने की टांड, बाहर 5 फीट प्लेटफार्म व वर्षा से बचाव हेतु पट्टियों का छज्जा होगा। बिजली की व्यवस्था करनी होगी।

18000/– निर्माण लागत
8000/– कार्यशील पूंजी
कुल राशि में 6000 अनुदान व शेष बैंक ऋण होगा।
पंचायत समिति में गांववार व्यवसायों व दुकानों का निर्धारण निम्न कमेटी करती है :–

1. अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
2. प्रधान पंचायत समिति
3. विकास अधिकारी
4. न्यूनतम कोरम 2 का है। सरपंच की उपस्थिति अनिवार्य है।

संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। विकास अधिकारी जांच कर चयन समिति के समक्ष रखेंगे। इसमें अग्रणी बैंक अधिकारी व कलेक्टर द्वारा संबंधित पंचायत समिति का अनुसूचित जाति के सदस्य भी शामिल होंगे।

भूमि आवंटन पट्टे ग्राम पंचायतों से जारी होने के बाद ही बैंक ऋण स्वीकृत होगा। 12000/– ऋण राशि बैंक, समिति को **देगी** जो निर्माण करवाकर कब्जा आवंटी के सुपुर्द करेगी। तभी बैंक कार्यशील पूंजी ऋण देगी। 10 वर्ष तक दुकान किसी अन्य को किराए नहीं देगा।

4. शिल्पी शाला योजना / बुनकर शाला / कर्घाघर

अनुसूचति जाति के शिल्पकार / बुनकर कच्चे मकानों में रहते हैं कड़कती धूप, सर्दी, वर्षा में कार्य करने की कठिनाई को देखते हुए दुकान की तरह ही शिल्पी शाला / बुनकर शाला निर्माण योजना है।

11 फीट लम्बी, 9 फीट चौड़ी, 10 फीट ऊंची होगी। लागत 18000 रुपये अनुदान 6000 शेष ऋण।

10 बुनकर मिलकर सामूहिक बुनकर शाला भी बना सकते हैं जिस पर अ.जा. निगम का नाम अंकित होगा।

5. कुक्कुटशाला योजना :

कुक्कुट पालन के इच्छुक अ.जा. के चयनित गरीब परिवार इस का लाभ ले सकते हैं। सामान्य शर्तों के अलावा 600 वर्ग फुट निजी जमीन होनी चाहिए जिस पर कुक्कुट शाला बन सके।

200 मुर्गियों की कुक्कुटशाला की लगात 18000/– है। 6000/– अनुदान व शेष ऋण होगा।

6. बोरिंग ब्लास्टिंग हेतु कुंए गहरे करवाना :

अनुसूचित जाति के चयनित लघु सीमान्त कृषक जिनके खेत पर स्वयं का कुंआ हो, परन्तु कठोर चट्टान के कारण पानी कम हो व गहरा करने में असमर्थ हो, तो भू– जल विभाग की कम्प्रेसर एयर से चालित मशीन रॉक ड्रिल से विस्फोटक पदार्थों द्वारा गहरा किया जाता है।

12 ब्लास्ट कर 144 छिद्रों से 5–6 मीटर गहरा किया जाता है जिसकी लागत :

क.	11 ब्लास्ट की 133 छिद्रों की लागत 45/– प्रति छिद्र अनुदान राशि से =	6000/–
ख.	मलबा बाहर निकालने का प्रति ब्लास्ट 600/– रुपये	6600/–
		12600/–

इसी प्रकार डी.टी. एछों रिंग एवं परक्युशन रिग से 20 मीटर गहरा बोरिंग कर पाईप असेम्बली डाली जाती है। बोरिंग की लागत जमीन की स्थिति अनुसार 4590 से 29860 अधिकतम सीमा तक है। अनुदान 6000/– ही है। शेष लाभार्थी स्वयं वहन करें या बैंक ऋण लेवें।

7. स्वच्छकार योजना :

मानव द्वारा विसर्जित मल एवं गंदगी को हाथों से या सिर पर ढोने वाले स्वच्छकारों को मुक्त करवाकर उनके पुनर्वास की भारत सरकार की योजना है। 91–92 में सर्वेक्षण सूची में दर्ज स्वच्छकारों का प्रशिक्षण व रोजगार हेतु ऋण अनुदान योजना है।

20000/– तक ऋण देकर लाभान्वित किया जाता है। 50 प्रतिशत इकाई लागत अधिकतम 10000/– रुपये अनुदान होता है।

8. सम्बल योजना :

जिन गांवों की 50 प्रतिशत या अधिक आबादी अनुसूचित जाति की हो, ऐसे गांवों को सम्बल गांव घोषित किया गया है। राजस्थान में ऐसे सम्बल गांवों की संख्या 1828 है।

इन गांवों में अनुसूचित जाति छात्रावासों का भवन निर्माण, एनीकट निर्माण, मत्स्य पालन व अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होता है। जिनसे आय भी बढ़े। पेयजल सुविधा, सड़कों का डामरीकरण, लघु सिंचाई आदि योजनाओं द्वारा विकास हेतु 66 आदर्श संबल गांव चयनित हैं। समाज कल्याण विभाग प्रति वर्ष ऐसे 100 गांवों में वाल्मीकि योजना अन्तर्गत 1 लाख रुपये प्रति गांव सामुदायिक भवन व अन्य जनोपयोगी कार्यों हेतु स्वीकृत करता है।

9. साधारण कर्घा एवं अर्द्ध स्वाचालित कर्घा योजना :

अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु कर्घा उपलब्ध करवाया जाता है जिसकी लागत निम्न प्रकार है :-

	लागत	कच्चा माल 2 माह हेतु	मजदूरी 2 माह हेतु	कुल
साधारण कर्घा	3000	3000	1000	7000
66 इंच अर्द्ध स्व. कर्घा	6400	4970	1680	13000

50 प्रतिशत लागत अधिकतम 6000 अनुदान। शेष ऋण होगा।

10. ग्रामीण पॉप योजना :

विभिन्न उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु ऋण अनुदान चयनित अ.जा. परिवारों को देय है।

उद्योग : मसाला पिसाई, रंगाई, स्वेटर बुनाई, बाल्टी ढोल बनाना, साबुन पाउडर बनाना, खिलौने, जूते, बक्से, झाड़ू, सीमेंट जाली, अगरबत्ती, निवार आदि।

व्यवसाय : पान, सब्जी, स्टेशनरी, गाय, मुर्गीपालन, बैलगाड़ी।

सेवा : साईकिल दुकान, रेड़ियों, टी.वी. मरम्मत, स्टोव मरम्मत, आटा चक्की, फोटोस्टेट, घड़ी मरम्मत, पेट्रोमेक्स, कपड़ों पर इस्त्री करना, लकड़ी फर्नीचर, कुर्सी केनिंग आदि।

अधिकतम इकाई लागत 35000/- अनुदान, 6000 शेष ऋण

11. अनुसूचित जाति के कृषकों के कुंओं पर तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण योजना :

लघु सीमान्त अ.जा. कृषक जो चयनित हो, जिसका स्वयं का कुंआ हो, विद्युत कनेक्शन हेतु 6000/- अनुदान राशि विद्युत मंडल को भुगतान की जाती है।

12. दुधारू पशु क्रय योजना :

उन्नत नस्ल की गायें/भैंसे उपलब्ध करवाकर दुग्ध विक्रय से आय बढ़ाना। चयनित परिवार हो। गांव डेयरी के मिल्क रूट पर हो। 5 गायों की या 2 भैंसों की आर्थिक इकाई मानी गई है। प्रति गाय 3000 व प्रति भैंस 6500 लागत है। 3 गाय पहिले व शेष 2 गाय आठ माह बाद दिलाई जाती है। अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम 6000 शेष ऋण।

13. उन्नत कृषि यंत्र :

अ.जा. के लघु सीमान्त कृषक, जो चयनित हों, उन्हें कृषि विभाग की योजना अंतर्गत 8 कृषि यंत्र दिलाकर लाभान्वित किया जाता है :

1. 16 लीटर क्षमता वाला नैपसेक स्प्रेयर
2. डस्टर
3. बण्ड फार्मर बीम रहित
4. रिजर प्लाऊ बीम रहित
5. त्रिफाली बीम रहित
6. दो कतारी सीड ड्रिल

7. मूंगफली छीलने का यंत्र

8. कुट्टी काटने का यंत्र गुराया टाईप

लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1000 ही देय है।

14. कुटीर ज्योति योजना :

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवार जिनकी वार्षिक आय 11000/– रुपये से कम है। उन व्यक्तियों को रात्रि में काम कर आय बढ़ाने हेतु सहयोग करना है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के प्रति परिवार जिनके पास पूर्व में विद्युत कनेक्शन नहीं हो एक कनेक्शन हेतु इकाई-लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 6000 अनुदान स्वरूप दिया जाता है। कुटीर ज्योति योजना राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से क्रियान्विति की ज़ा रही है।

15. कुएं के विद्युतीकरण हेतु अनुदान :

अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं पर 11 के.वी/एल.टी. लाईन के विस्तार हेतु प्रति पोल 7000/– रुपये व्यय होता हैं। विद्युत मंडल 6500/– प्रति पोल अनुदान देता है। शेष 500/– प्रति पोल चयनित परिवारों हेतु अ.जा. निगम भुगतान करता है। 1500/– फिक्स चार्ज भी निगम वहन करता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

पात्र

1. अनुसूचित जाति का हो।
2. राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. आयु 18 से 35 वर्ष हो।

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रशिक्षण अवधि	मानदेय	योग्यता	टिप्पणी
1.	एस.टी.सी.	22 माह	65 प्रतिमाह स्थानीय 115 प्रतिमाह बाहरी व समस्त फीस	हा.सै.	आरक्षित सीटों हेतु परीक्षा में चयन होने पर
2.	बी.एड.	10 माह	125 प्रतिमाह स्थानीय 190 प्रतिमाह बाहरी व समस्त फीस	स्नातक	अजमेर विश्व विद्यालय परीक्षा बाद आरक्षित सीटों पर संस्था आवंटन करेगा
3.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	6 माह	150 प्रतिमाह 3200 प्रतिवर्ष फीस संस्था को	स्नातक	
4.	पशुधन सहायक	1 वर्ष	150 प्रतिमाह स्थानीय 300 प्रतिमाह बाहरी	हा.सै. जीव विज्ञान	

5.	मत्स्य सहायक	15 दिवस	25 प्रतिमाह स्थानीय 40 प्रतिमाह	–	प्रशिक्षण बाद ऋण दिलाया बाहरी जाता है
6.	सूअर पालन स्वच्छकारों हेतु	7 दिवस	20 प्रतिदिन	–	
7.	फुटवेयर प्रशिक्षण मशीन से जूते बनाना	1 माह	150 प्रतिमाह स्थानीय 300 प्रतिमाह बाहरी	–	राजस्थान लघु उद्योग संस्थान के माध्यम से
8.	कुक्कुटपालन प्रशिक्षण	15 दिवस	150/–	–	प्रशिक्षण बाद ऋण दिलाया जाता है
9.	शिक्षण से स्वावलंबन 10 से 12 कक्षा छात्रों को छात्रावास में	1 वर्ष	100 प्रतिमाह 500 टूलकिट प्रशिक्षण बाद	10 से 12 कक्षा के विद्यार्थी	–
10.	आवास विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित 1. कारीगर 2. बारबेंडर 3. फैब्रीकेटर 4. प्लम्बर 5. इलेक्ट्रीशियन	6 माह 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह	 150 प्रतिमाह स्थानीय 300 प्रतिमाह बाहरी 600 टूलकिट प्रशिक्षणबाद	––	––
11.	गलीचा प्रशिक्षण	1 वर्ष	350 प्रतिमाह 800 टूलकिट प्रशिक्षण बाद	16 केन्द्रों पर 25 छात्र प्रति केन्द्र लघु उद्योग निगम द्वारा	––

अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु विशेष योजनाएँ –

इस प्रकार सामाजिक नव चेतना जागृत करने और प्रशिक्षित करने के अलावा राजस्थान के जन जातियों के सदियों से पिछड़े परिवारों में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास किये गये हैं।

जन जाति कार्यक्रमों को विशेष गति प्रदान करने हेतु दो विशेष संस्थान भी कार्यरत हैं :–

1. माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान :– उदयपुर, अशोक नगर आदिवासी संस्कृति के अध्ययन व समस्याओं के समाधान हेतु ।

2. जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम :–

प्रताप नगर, उदयपुर आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्मृद्धि हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित करता है।

1. 244 वृहद सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज, कृषि फसल ऋण, उपभोक्ता, सामग्री वितरण कार्य।
2. लघु वन उपज जैसे शहद, गोंद व अन्य जड़ी बूटियों का संग्रह व विपणन कार्य।
3. 31 मत्स्य, सहकारी समितियों के माध्यम से मछलियाँ जयसमंद, माही, काड़ाना, जाखम से इकट्ठी करवाकर दिल्ली आदि बाजारों में विपणन द्वारा लाभ पहुँचाना।

अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु विशेष योजनाएँ

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र

राजस्थान में भील, गरासिया, डामोर, मीणा, कथोड़ी, नाईक, पटेलिया, शहरीया आदि– आदि जातियों के लोग भी काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, अरनोद, आबूरोड़ व शाहबाद तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक जनजातियों के लोग ही रहते हैं। ये जातियाँ अधिकतम पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। जहाँ पिछड़ापन है, उत्पादन व जीवन यापन के साधन बहुत कम हैं, अधिकांश क्षेत्र जंगल के रूप में हैं एवं व्यवसाय भी बहुत कम है। इसलिए ये लोग गरीब अधिक हैं और इसीलिए इन क्षेत्रों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

2. माडा योजना क्षेत्र

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर भील व मीणा लोग बिखरे रूप में भी रहते हैं। उन्हें भी शिक्षा, रोजगार व अन्य सुविधाएँ देने हेतु माडा क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में माडा योजना लागू है।

3. व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के कल्याण एवं आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता, ऋण व अनुदान के रूप में दिया जाता है। इन लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएँ वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं –

(1) इंदिरा आवास

अपनी भूमि पर या कॉलोनी के रूप में आवंटित सरकारी भूमि पर पक्का कमरा व शौचालय बनाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को 9600 रुपये तक का अनुदान मिलता है। छप्पर बनाने हेतु भी 2600 रुपये तक की सहायता पंचायत समिति द्वारा दी जाती है।

(2) जीवनधारा

लघु/सीमान्त अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को सिंचाई कुंआ खोदने हेतु 26200 रुपये तक पूरी राशि मुफ्त दी जाती है। परिवार को मेहनत मजदूरी करनी होगी। इससे रोजगार भी मिलेगा व सिंचाई सुविधा भी मिलेगी।

(3) ऋण अनुदान योजना

ब्लास्टिंग बोरिंग से कुआं गहरा करने, नया कुआं बनाने हेतु, पम्पसैट क्रय करने हेतु, गाय, भैंस, बैल, ऊंटगाड़ी, गधागाड़ी, बकरी, भेड़ आदि खरीदने हेतु, दुकान, व्यवसाय उद्योग चलाने हेतु बैंक से ऋण व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से अनुदान मिलता है। अनुदान की राशि इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 6000 रुपये मिलेगा। विभिन्न उद्योगों के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा ऋण भी उपलब्ध है।

(4) फल विकास

आदिवासी कृषकों को निःशुल्क फलदार पौधे, निःशुल्क प्रशिक्षण, 3 वर्ष तक 5 रुपये प्रति जीवित पौधे की दर से अनुदान, पौधों के रख–रखाव हेतु 100 रुपये कृषि अनुदान के रूप में व इन्टरक्रोपिंग के लिए वर्ष में दो बार 150 रुपये के हिसाब से सहायता दी जाती है। बेर की कलमें लगाने हेतु प्रति किसान 25 पौधों पर 250 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(5) सब्जी बीज पैकेट वितरण

आदिवासी कृषकों को टमाटर, बैंगन, भिण्डी, लौकी, तुरई, टिण्डा, मिर्ची आदि के अच्छे बीज के पैकेट निःशुल्क वितरण करते हैं।

(6) दुकान अनुदान

ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज के आदिवासियों को छोटी परचूनी की दुकानों हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में 2000 रुपये तक का सामान अनुदान के रूप में क्रय करवाकर दिया जाता है।

(7) आकस्मिक निधन व बीमारी में सहायता

आदिवासी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अधिकतम 5000 रुपये व कमाने वाले व्यक्ति के कैंसर/टी.बी. जैसी बीमारी के इलाज हेतु 2000 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(8) मुफ्त कानूनी सहायता

आदिवासी क्षेत्रों के, अदालतों में दीवानी, फौजदारी व राजस्व वादों की पैरवी के लिए वकीलों को फीस के रूप में आर्थिक सहायता जिला विधिक सहायता समिति के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है।

(9) शिक्षा आश्रम छात्रावास

शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह आश्रम स्कूल व छात्रावास खोले गये हैं। एक से दो कक्षा के छात्रों को व एक से पाँच कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क पोशाक व पुस्तकें दी जाती हैं। बड़े छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें देने हेतु बुक बैंक खोले गये हैं।

(10) छात्र गृह योजनाएँ

छात्रावास न होने पर किराये का मकान लेकर रहने हेतु छात्र गृह योजनाएँ चलती हैं। जिला स्तर पर 40 रुपये प्रति छात्र, पंचायत समिति मुख्यालय पर 30 रुपये प्रति छात्र और अन्य स्थानों पर 20 रुपये प्रति छात्र प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(11) फीस व छात्रवृत्ति

प्राईवेट परीक्षा देने वाले आदिवासी छात्रों की फीस का पुर्नभरण भी होता है। प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्रों को 150 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति मिलती है। आश्रम स्कूलों में पौशाक, किताबें, लेखन सामग्री, भोजन, आवास एवं शिक्षा आदि सभी निःशुल्क है।

(12) स्वास्थ्य शिविर

आदिवासियों के लिए आयुर्वेदिक शिविर लगाकर मस्से व दमे की बीमारी का विशेष इलाज किया जाता है। आंखों व अन्य ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टरी कैम्प लगाकर मुफ्त आवास, भोजन व चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है।

(13) पेयजल

आदिवासी क्षेत्रों में हैण्डपम्प व जल योजनाओं हेतु अलग से प्रावधान किया जाता है।

(14) सड़कें

आदिवासी क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु भी अलग वित्तीय व्यवस्था की जाती है। आदिवासी क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, आँगनबाड़ी आदि के भवन निर्माण हेतु भी बजट प्रावधान भी रखा जाता है।

(15) प्रशिक्षण

अनुसूचित जनजाति के युवक एवं युवतियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मैकेनिक, वैल्डर, कारपेन्टर, मोटर ड्राइविंग आदि की ट्रेनिंग, दरी बुनाई, एस.टी.सी. व बी.एड प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर आदि-आदि से संबंधित प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है तथा साथ ही 150 से 200 रुपए तक प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण बाद 800 रुपये तक स्वयं के औजार एवं यंत्र मुफ्त दिये जाते हैं, ताकि ये लोग अपना स्वयं जीवन यापन स्वरोजगार के माध्यम से कर सके। बैंक ऋण दिलवाकर नियमानुसार 6000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है। पंचायत समिति के माध्यम से जन प्रतिनिधि, इन आदिवासियों की जरूरत के अनुसार लाभ दिलवाकर जीवन स्तर सुधारें। इस प्रकार सामाजिक नव चेतना जागृत करने और प्रशिक्षित करने के अलावा राजस्थान के जन जातियों के सदियों से पिछड़े परिवारों में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास किये गये हैं।

जन जाति कार्यक्रमों को विशेष गति प्रदान करने हेतु दो विशेष संस्थान भी कार्यरत हैं :

1. **माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान :-** उदयपुर, अशोक नगर आदिवासी संस्कृति के अध्ययन व समस्याओं के समाधान हेतु

2. **जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम :-**

प्रतापनगर, उदयपुर आदिवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित करता है।

1. 244 वृहद सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज, कृषि फसल ऋण, उपभोक्ता, सामग्री वितरण कार्य।
2. लघु वन उपज जैसे शहद, गोंद व अन्य जड़ी बूटियों का संग्रह व विपणन कार्य।
3. 31 मत्स्य, सहकारी समितियों के माध्यम से मछलियाँ जयसमंद, माही, काड़ाना, जाखम से इकट्ठी करवाकर दिल्ली आदि बाजारों में विपणन द्वारा लाभ पहुँचाना।

अन्य विशेष योजना

1. एकीकृत परती भूमि विकास परियोजना :-

डूंगरपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई जहाज से बीज डालकर वृक्षारोपण करवाया गया। जहां-जहां कुछ मिट्टी या समतल भूमि मिली वहाँ वृक्षारोपण सफल हुआ है। बंजर भूमि विकास बोर्ड के सहयोग से योजना लागू की गई थी।

2. स्वच्छ परियोजना उदयपुर :-

उदयपुर डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में नारू रोग उन्मूलन हेतु यूनीसेफ व सीडा के सहयोग से हैण्डपम्पों द्वारा शुद्ध पेय जल उपलब्ध करवाने की विशेष योजना चलाई गई। इसके फलस्वरूप नारू रोग समाप्त प्रायः हो चुका है।

3. रेशम कीट पालन परियोजना उदयपुर :-

उदयपुर विश्व विद्यालय के सहयोग से शहतूत के पेड़ लगाकर कोकून से रेशम निकालकर अच्छी आय अर्जित करने हेतु आदिवासी क्षेत्र में रेशम कीट पालन कार्यक्रम भी चल रहा है। विपणन व्यवस्था हेतु सुधार की आवश्यकता है।

4. अन्य :-

अन्य नवीन योजनाओं में सरसों की खेती, राजमा की खेती, चारा विकास, मुर्गी दाना इकाई की स्थापना, कन्या छात्रावास, ड्राईवर प्रशिक्षण हेतु नई जीन, महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

शैक्षणिक विकास हेतु 165 आश्रम स्कूल व जनजाति छात्रावास, 5 आई.टी.आई. व 11 मिनी आई.टी.आई. तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। 23 छात्रावास तो केवल छात्राओं हेतु संचालित है। एस.टी.सी. व बी.एड़ प्रशिक्षक हेतु चयन व छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

कृषकों हेतु कुओं का बोरिंग ब्लास्टिंग, व्यक्तिगत व सामूहिक पम्प सेट, ऐनीकट, सामुदायिक जलोत्थान विकास योजनाएँ व माही बजाज सागर व जाखम सिंचाई विशेष रूप से लाभदायक रही है।

इस प्रकार क्षेत्र के विकास के साथ-साथ जनजाति व्यक्तियों में धीरे-धीरे सामाजिक व आर्थिक विकास हो रहा है।

गरीब परिवारों हेतु पेंशन एवं बीमा योजनाएँ

राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन योजना

1. किसके लिए ?

न्यूनतम 58 वर्ष के पुरुष व 55 वर्ष की महिला, जो राजस्थान के सद्भावी नागरिक हैं, जो आजीविका कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हैं, और उनके परिवार में 20 वर्ष या अधिक का कोई सदस्य आजीविका कमाने वाला नहीं हैं, जिनकी मासिक आय 30/– रु. से कम है, इस पेन्शन के पात्र होते हैं। किन्तु विधवा महिला के लिए उपरोक्त आयु बन्धन नहीं है।

2. सुविधा क्या मिलेगी ?

100 रु. मासिक पेन्शन। यदि ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से पेन्शन या निर्वाह भत्ता पाता है तो उसे अन्तर की राशि ही देय होगी। पति पत्नी दोनों पेन्शन के पात्र होने पर 150/– रुपये मासिक देय है।

3. सुविधा कैसे मिलेगी ?

1. नगरपालिका क्षेत्र के लिए सब डिविजनजल ऑफीसर के कार्यालय में एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत समिति में आवेदन करें।
2. पेन्शन का भुगतान कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा नकद एवं प्रार्थी के चाहने पर मनीआर्डर से भी किया जाता है।

4. विकास अधिकारी से अपेक्षाएँ

1. योजना से अछूते वृद्ध, विधवा एवं विकलांग को पेन्शन स्वीकृत कराना।

राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के लिए पेन्शन योजना

1. किसके लिए ?

ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान का स्थायी निवासी होकर अपाहिज, अपंग अथवा अन्धा है, जो आजीविका कमाने में अयोग्य एवं असमर्थ है, न्यूनतम आयु एक वर्ष या इसके अधिक है, तथा उसके परिवार में 20 वर्ष या अधिक की आयु का आजीविका कमाने वाला न हो (परिवार में पुत्र, पौत्र, पति, पत्नी, माता, भ्राता एवं पितामह सम्मिलित हैं) पेन्शनर की आमदनी 30/– प्रतिमाह से अधिक नहीं हो।

2. सुविधा क्या मिलेगी ?

प्रत्येक व्यक्ति को 100/– रुपये मासिक पेन्शन। यदि अन्य किसी स्रोत से पेन्शन एवं निर्वाह भत्ता मिलता है तो केवल अन्तर राशि देय होगी।

3. सुविधा कैसे मिलेगी ?

1. पेन्शन के लिए नगरपालिका क्षेत्र में कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत समिति में आवेदन करें।
2. पेन्शन का भुगतान नकद या प्रार्थी के आवेदन पर मनीआर्डर द्वारा किया जाता है।

3. अपाहिज, अपंग व अन्धे होने के प्रमाणस्वरूप डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपेक्षित होता है।

4. विकास अधिकारी से अपेक्षाएँ

1. योजना से अछूते वृद्ध, विधवा एवं विकलांग को पेन्शन स्वीकृत कराना।

गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजनाएँ

राज्य सरकार द्वारा अभिकरण के माध्यम से गरीब परिवारों को निःशुल्क सुरक्षा प्रदान करने हेतु कई बीमा योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन सभी बीमा योजनाओं का प्रीमियम केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। बीमा योजनाएँ निम्न हैं –

1. सामाजिक सुरक्षा योजना (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)
2. झोंपड़ी बीमा योजना।
3. अनिवार्य पशु बीमा योजना।
4. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना।
5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के लिए समूह बीमा योजना।

1. सामाजिक सुरक्षा योजना (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)

यह योजना ओरिऐंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

किसके लिए ?

1. ऐसे गरीब परिवार जिसकी वार्षिक आय 7,200 रुपये से कम हो और कमाऊ मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो।
2. जिसकी मृत्यु किसी दुर्घटना जैसे सांप का काटना, आत्महत्या, पानी में डूबना, पेड़ से गिरना आदि से हुई हो। मोटर दुर्घटना इसमें सम्मिलित नहीं है।
3. लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति अन्य बीमा योजना या किसी विधि कानून के अन्तर्गत मुआवजे का हकदार न हो।

सुविधा क्या मिलेगी ?

1. दुर्घटना से मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को 3,000 रुपये की सहायता।

लाभ कैसे प्राप्त करें

मुआवजा प्राप्त करने के लिए खाली फार्म ओरिऐंटल इन्श्योरेन्स कं. लिमिटेड के कार्यालय, पंचात समितियों, उपजिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में मृत्यु की तारीख से 180 दिन के भीतर पेश किया जा सकता है।

2. झोंपड़ी बीमा योजना

यह योजना ओरिऐंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों (जिनकी समस्त स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 4,800 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो) को उनकी झोंपड़ी/सामान आग से नष्ट हो जाने पर बीमा कम्पनी झोंपड़ी के लिए अधिकतम 1,000 रु. तथा आग लगने से झोपड़ी में रखा सामान नष्ट हो जाने पर 500 रुपये देती है।

लाभ कैसे प्राप्त करें ?

झोंपड़ी में आग लगने पर गाँव के मुखिया/सम्बन्धित अधिकारी को तथा समीपवर्ती पुलिस थाने को तत्काल सूचना देनी होगी। मुआवजे के लिए आवेदन फार्म (क्लेम फार्म) सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) के पास आग के 45 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। निर्धारित फार्म क्षेत्र के सम्बन्धित विकास अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व ओरिऐंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. अनिवार्य पशु बीमा योजना

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त चयनित परिवारों को जिन्हें बैंक ऋण द्वारा पशुधन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें इस योजना में सम्मिलित किया गया है। ऐसे पशुपालकों को बीमित पशु की मृत्यु होने पर सम्बंधित बीमा कम्पनी द्वारा पूरा मुआवजा दिया जाता है।

लाभ कैसे प्राप्त करें

पशुपालक द्वारा पशु की मृत्यु की सूचना बैंक के माध्यम से तुरन्त बीमा कम्पनी को देनी होती है। तत्पश्चात् बीमा कम्पनी के निर्धारित प्रपत्र को पूर्ण कर मृत पशु के टेक्स सहित पशुपालक स्वयं अथवा बैंक के माध्यम से कम्पनी को प्रस्तुत करना पड़ता है।

बैंक के द्वारा क्रय कराये गये सभी पशुओं का बीमा बैंक के माध्यम से ही किया जाता है, जिसकी प्रीमियम दर निम्न है –

दुधारू पशुओं की दर	–	2.25%
अन्य पशुओं की दर	–	2.00 %

4. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 15 अगस्त, 1987 से भारत एवं राज्य सरकार के सौजन्य से एक नई बीमा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार के मुखिया का, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष तक है दो हजार रुपये की रकम का निःशुल्क बीमा किया जाता है। बीमित व्यक्ति (मुखिया) की असामयिक मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम के सम्बन्धित शाखा कार्यालय द्वारा उसके आश्रितों को एक हजार रुपये का नकद भुगतान किया जाता है।

किसके लिए ?

1. इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले वे ही व्यक्ति होंगे जिनके नाम पर राजस्व अभिलेख (रेवेन्यु रिकार्ड) के अनुसार खेती की कोई जमीन नहीं है और कृषि सम्बन्धी रोजगार में एक मजदूर की हैसियत से काम कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं और गाँवों में रहते हैं।
2. भूमिहीन कृषि श्रमिक (मुखिया) के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही बीमा सुरक्षा समाप्त हो जाती है।
3. बीमा सुरक्षा प्रति परिवार मुखिया तक सीमित रहती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के कारण परिवार के मुखिया को यदि नहीं लिया जाता है तो परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भूमिहीन कृषि श्रमिक की तरह काम करता है, को लिया जायेगा।
4. यह योजना प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए चालू की गई है।

बीमा प्रीमियम कौन देगा ?

इस योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये प्रति श्रमिक परिवार के लिए प्रति वर्ष 10 रुपये के हिसाब से भारत सरकार बीमा प्रीमियम देती है।

बीमा राशि कैसे प्राप्त करें ?

1. परिवार के मुखिया (बीमित व्यक्ति) की असामयिक मृत्यु हो जाने पर क्लेम फार्म पंचायत समिति/जीवन बीमा निगम से प्राप्त किया जा सकता है।
2. क्लेम फार्म नामित (आश्रित) व्यक्ति भरकर पटवारी से प्रति हस्ताक्षर करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. विकास अधिकारी क्लेम फार्म अपनी सिफारिश के साथ जीवन बीमा निगम के सम्बन्धित कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करेगा।
4. क्लेम स्वीकृत हो जाने पर मृतक के परिवार को जीवन बीमा निगम द्वारा 1,000 रुपये की राशि दे दी जायेगी।

5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों हेतु समूह बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 अप्रैल, 1988 से भारत एवम् राज्य सरकार के सौजन्य से एक नई बीमा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवार के किसी व्यक्ति को जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, दिनांक 1.4.88 या इसके पश्चात् यदि लाभान्वित किया गया हो, तो ऐसे लाभान्वित व्यक्ति को उसी दिनांक से भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा सुरक्षा प्रदान करती है और मृत्यु हो जाने पर मुआवजे की निर्धारित राशि प्रदान करती है।

इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति का सम्पूर्ण बीमा प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

जीवन बीमा निगम से कितनी राशि मिलेगी ?

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति की स्वाभाविक (सामान्य) मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति (आश्रित) को 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।

किसी दुर्घटना से मृत्यु होने पर आश्रित को 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।

यह बीमा सुरक्षा 60 साल की उम्र तक अथवा आरम्भ से तीन वर्षों तक इसमें जो भी अवधि पहले पड़ती हो, चालू रहेगी।

लाभान्वित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमा क्लेम का खाली फार्म पंचायत समिति जीवन बीमा निगम से प्राप्त किया जा सकता है।

नामित व्यक्ति बीमा क्लेम फार्म भरकर मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ प्रति हस्ताक्षर हेतु क्षेत्र के विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

विकास अधिकारी क्लेम फार्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र अपनी सिफारिश के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रेषित करेगा। अभिकरण अपने स्तर पर जाँच एवं आवश्यक पूर्ति कर भारतीय जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालय को क्लेम स्वीकृति हेतु भेजेगा।

जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालय द्वारा आवश्यक जाँच के पश्चात् क्लेम राशि (सामान्य मृत्यु पर 3,000 रुपये एवम् दुर्घटना से मृत्यु होने पर 6,000 रुपये) स्वीकृत की जाकर चैक द्वारा नामित व्यक्ति (नोमिनी) को भुगतान किया जायेगा।

लाभान्वित व्यक्ति की मृत्यु के 1 वर्ष के अन्दर बीमा राशि का क्लेम किया जा सकता है।

अगर मृत्यु दुर्घटना से हुई हो तो पुलिस की जाँच रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति क्लेम फार्म के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6. सोलेशियम फण्ड योजना

अज्ञात वाहनों से हुई दुर्घटना के पीड़ितों को इस योजना के तहत क्षतिपूर्ति दी जाती है।

सुविधा क्या मिलेगी ?

1. मृत्यु की दशा में 8,500 रुपये
2. गंभीर चोट लगने पर 2,000 रुपये

लाभ कैसे प्राप्त करें ?

1. अज्ञात वाहन से दुर्घटना होते ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएँ।
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करें।
3. इस योजना में तहसीलदार द्वारा घटना की जाँच की जाती है जो क्लेम इन्क्वायरी ऑफिसर होते हैं।
4. जिला कलक्टर द्वारा इस योजना में क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है एवं तत्पश्चात् मनोनीत बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाता है।

ग्राम पंचायत से अपेक्षाएँ

1. सुरक्षा एवं बीमा योजनाओं की जानकारी सभी ग्राम सेवकों, सरपंचों को देते रहना।
2. ग्राम सेवकों के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट माँगकर बीमा कम्पनी से मुआवजा दिलवाना।

जलग्रहण क्षेत्र आधार पर ग्रामीण विकास

राजस्थान का दो तिहाई क्षेत्रफल रेगिस्तानी है। वर्षा की मात्रा भी सीमित होने से पानी की कमी रहती है। सिंचाई सुविधाएँ मुश्किल से 30 प्रतिशत क्षेत्र में उपलब्ध है। 237 में से 93 पंचायत समितियाँ मरुस्थल क्षेत्र में 32 पंचायत समितियाँ सुखाग्रस्त क्षेत्र में हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। वर्षा का पानी टांके में भरकर ताला लगा देते हैं और वर्ष भर पीने के काम में लेते रहते हैं। परन्तु न जाने वर्षा ऋतु में कितना पानी नालों में बहकर व्यर्थ चला जाता है व उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो सकता।

नीतिगत निर्णय :–

ग्रामीण विकास नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है। कि वर्ष 95–96 से निम्न योजनाओं के विकास कार्य केवल जलग्रहण क्षेत्र आधार पर क्रियान्वित होंगे।

1.	मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम	100 प्रतिशत
2.	सूखासंभाग्य क्षेत्र	100 प्रतिशत
3.	बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	100 प्रतिशत
4.	आश्वस्त रोजगार योजना कार्य	50 प्रतिशत
5.	जवाहर रोजगार योजना–2	50 प्रतिशत

वाटर शेड :–

वाटर शेड या जलग्रहण क्षेत्र भूमि की एक ऐसी इकाई है जिसका जल निकास एक स्थान से होता है अर्थात भूमि की इन इकाई क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो यहाँ से पानी एक ही छोटे बड़े नाले से बहकर निकलता है। जलग्रहण क्षेत्र 500 हैक्टेयर के छोटे या मझले या बड़े हो सकते हैं। एक प्रतिशत से अधिक ढलान वाली भूमि पर विकास कार्य निम्न प्रकार किए जाते हैं।

उद्देश्य :–

वाटर शेड आधार पर ग्रामीण विकास का यह मंत्र है :

खूड का पानी खूड में

खेत का पानी खेत में

गांव का पानी गाँव में

प्रक्रिया :–

वर्षा का पानी खेत में से बहकर बाहर नहीं जाए, इसलिए ढलान खेत के विपरीत इस प्रकार की खेती की हलाई की जाए कि जल भूमि में ही समा जाए और मिट्टी में नमी बढ़ा दे। कुछ खेतों की मिट्टी में पानी जज्ब करने की इतनी अधिक शक्ति होती है कि बिना सिंचाई रबी की फ़सल में गेंहू व चना पैदा हो जाता है। मेड़ता की सेवज भूमि में व जालौर जिले की सांचोर तहसील में ऐसे वर्षा ऋतु के जज्ब किए गए मृदा (नमी) से हजारों मन गेहूं रबी की फसल में पैदा होती है। खेतों की मेड़ों पर भी पौध रोपण करने से बहाव कम होता है व भूमि कटाव रुकता है। खेत की मेड पर अंरड़, जामून, आम, बेर, देसी बबूल, खेजड़ी, जंगल जलेबी व खस, मूंज कैर, ग्वार पाठा आदि लगावें।

चरागाह व पहाड़ी क्षेत्र :-

पहाड़ी क्षेत्र में जहां ढलान अधिक हो, पानी को बहाने से बचाने हेतु एवं वर्षा के पानी से वृक्षारोपण कर विकास करने व बीज बोकर चरागाह विकास करने के लिए ढलान के विपीत खाईयाँ खोदी जाती हैं। खाईयों में जो पानी इकट्ठा होता है, वहीं पौधों की सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है। इससे गांव के चारे व ईंधन व लकड़ी की समस्या हल होगी।

चरागाह विकास व वन विकास के फलस्वरूप बहते हुए पानी की तेजी कम होती है। भूमि कटाव नहीं होता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में लगभग 53,540 लाख टन उपजाऊ मिट्टी बहकर प्रति वर्ष नष्ट हो जाती है। मिट्टी के लगातार कटे रहने से खेत में नाली नाले बन जाते हैं और उर्वर मिट्टी के बह जाने से भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। इससे खेत की पैदावार दिनों दिन घटती जाती है। जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से ऐसे बहते हुए पानी को खेतों के बीचों बीच बहने से रोका जाता है ताकि भूमि क्रटाव न हो। ढलान अनुसार पर्वत आदि की परिधि रेखा को ध्यान में रखते हुए नालियों द्वारा पानी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है। बहते पानी को जगह जगह मिट्टी पत्थर के कच्चे बांधों से जगह-जगह नाले में रोका जाता है। ताकि गांव की ही जमीन में नमी बढ़े, भूमिगत पानी का जलस्तर ऊंचा हो।

नाली, तालाब या पोखर :-

गाँव का वर्षा का पानी जो खेतों में मिट्टी में समाहित नहीं हो, पहाड़ों पर खोदी गई खाईयाँ भरने के बाद बहकर आए, नालों में कच्चे बाँधों में भरने के बाद भी बहकर आए, उसे गाँव की नाड़ियों व तालाबों में रोकना चाहिए। यह जल न केवल मवेशियों के पीने के पानी के काम आएगा परन्तु गाँव की अन्य आवश्यकताएँ पूरी करने के साथ-साथ भूमिगत जलस्तर को भी ऊंचा लाएगा।

ऐनीकट :-

इसी तरह पहाड़ों की ढलान व नालों में बहता पानी जो कच्ची मिट्टी व पत्थर के बाँधों से नहीं रुकता। उसे सीमेण्ट व पत्थर की पक्की दीवार बनाकर किसी सकड़ी जगह दो पहाड़ियों के बीच रोका जाता है। यदि पानी लम्बे समय तक अधिक मात्रा में रहे, तो मोटर द्वारा लिफ्ट से सिंचाई के काम ले सकते हैं। अन्यथा एनीकट में रुका पानी भूमिगत जाकर कुओं का जलस्तर बढ़ाएगा व सिंचाई क्षमता बढ़ाएगा। उपजाऊ मिट्टी बहती हुई जैसे-जैसे कच्चे बांधों व एनीकट में इकट्ठी होगी, वैसे-वैसे नई उपजाऊ जमीन उपलब्ध होती जाएगी व पैदावार बढ़ेगी।

इस प्रकार बारानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन हेतु वर्षा की अनिश्चितता के बावजूद स्थायित्व लाने और वर्षा के जल का उपयोग करते हुए मृदा एवं नमी संरक्षण बनाए रखने हेतु समन्वित प्रयास किए जाते हैं।

क्रियान्वयन एजेन्सी :-

1. जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
2. वन विभाग।
3. स्वैच्छिक संस्थाएँ।

इस नीति के अनुसार पूरे जलग्रहण क्षेत्र के कृषि विकास, पशुपालन, भू संरक्षण, चरागाह विकास, वन विकास एवं कृषि अभियांत्री के समस्त कार्य एक ही एजेन्सी द्वारा किए जाएँगे।

वाटरशेड टीम :

कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु हर विभाग/संस्था को 500-600 हेक्टेयर की 10 से 12 वाटर शेड हेतु अर्थात 5000 से 6000 हेक्टेयर में कार्य करवाने हेतु चार विशेषज्ञों की टीम रखनी होगी।

1. समाज शास्त्र विशेषज्ञ
2. पशु चिकित्सा विशेषज्ञ
3. कृषि विशेषज्ञ
4. सिविल/कृषि अभियान्त्रिकी

हर 500 हेक्टेयर की वाटरशेड हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लाभान्वितों की समिति बनेगी। समिति द्वारा कार्यों को मौके पर क्रियान्विति की देखरेख हेतु प्रशासनिक कमेटी नियुक्त की जाएगी। उसका सचिव स्नातक होगा जो तीन स्वयं सेवक सदस्यों की सहायता से मौके पर कार्य करायेगा।

प्रशिक्षण :–

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वाटर शेड टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम स्तर के सचिव व कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण विभागों अथवा संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा जो कार्य करवा रहे हैं।

जन सहभागिता :–

नई नीति निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों, पशुपालकों एवं ग्रामवासियों तथा जन प्रतिनिधियों को कार्यक्रम से जोड़ना है।

ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पारित करना होगा कि वाटर शेड योजना में चरागाह विकास कार्य करवाएँगे व कार्य पूरा होने के बाद रख रखाव की जिम्मेदारी सम्भालेंगे।

गांववासी स्थानीय समस्या व परिस्थिति अनुसार योजना तैयार करवाएँगे।

निजी भूमि पर 10 प्रतिशत व सरकारी भूमि, चरागाह व अन्य सार्वजनिक भूमि पर 5 प्रतिशत श्रम के रूप में जन सहयोग करने हेतु सहमत होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों एवं चयनित गरीब परिवारों की भूमि पर कार्यों हेतु भी 5 प्रतिशत जन सहयोग ही आवश्यक होगा।

कार्य करवाने हेतु लाभान्वित परिवारों की कमेटी बनेगी। कार्य उन्हीं की राय अनुसार होगा। हर वाटर शेड़ क्षेत्र में करीब 10 स्वयं सेवी समूह बनाए जाएँगे। इन्हें 5000/– प्रति समूह प्रारम्भिक सहायता दी जाएगी जिससे आय बढ़ाने के साधन बढ़ा सकें। यह राशि बिना ब्याज 6 माह में लौटानी होगी।

वाटर शेड़ कार्य गांववासियों की राय से गांववासियों व लाभान्वितों की कमेटियों द्वारा ही क्रियान्वित होने से उनका जुड़ाव रहेगा व रख रखाव में रुचि रहेगी। वे इसे सरकारी कार्यक्रम न समझकर स्वयं का कार्यक्रम समझ कर अपनाएँगे।

शिक्षाकर्मी को चाहिए कि जिन– जिन गांवों में वर्षा से भूमि कटाव की समस्या है, चरागाह व पहाड़ी क्षेत्र की भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वर्षा का पानी नालों में बहकर गांव के बाहर चला जाता है। उन गांवों की जनता व जन प्रतिनिधियों को सलाह देवें कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सूचित कर गांव में वाटर शेड़ कार्यक्रम क्रियान्वित करावें। इससे उनके गांव में वर्षा से प्राप्त पानी का उपयोग उन्हीं के गांव हेतु हो सकेगा व उत्पादकता का लाभ होगा।

मुख्य लाभ :

1. जल संरक्षण
2. मृदा संरक्षण
3. भू–जल में बढ़ोतरी
4. खेत की नमी में बढ़ोतरी
5. फल, चारा एवं लकड़ी की उपलब्धि
6. वानस्पतिक खाद की उपलब्धि से रसायनिक खाद की बचत
7. सिंचाई की आवश्यकता की कमी के कारण बिजली के बिल की बचत
8. पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी

वर्षा का पानी जहाँ गिरे उसे वहीं रोकने हेतु खूड़ की समोच्य रेखा पर बनाकर गिरने वाले पानी को खूड़ में रोकें। खेत में गिरने वाले पानी को खेत में रोकने के लिए समोच्य रेखा। मेढ़ पर वानस्पतिक, बाड़ बनावें। गांव का पानी गांव में रोकने के लिए तालाबों, पोखरों व नाड़ी निर्माण करें।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल पंचायत समितियाँ जिनके ग्रामीण विकास कार्य जलग्रहण क्षेत्र आधार पर ही 1.4.95 से होंगे।

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	डी.डी.पी. मरूस्थल क्षेत्र	डी.पी.ए.पी. सूखा संभाव्य क्षेत्र	ई.ए.एस. आश्वासित रोजगार योजना	टी.ए.डी. अ.ज.जा.
1.	अजमेर	श्री नगर	*		*	
		पीसांगन	*		*	
		जवाजा		*	*	
		मसूदा		*	*	
		भिनाय		*	*	
		किशनगढ़	*		*	
2.	अलवर	राजगढ़			*	
		थानागाजी			*	
3.	बारां	बारां			*	
		अतां			*	
		अटरू			*	
		शाहबाद		*	*	
		छीपा बड़ोद			*	सहरिया अ.ज.जा. क्षेत्र
		छबड़ा		*	*	
4.	बांसवाड़ा	गढ़ी		*	*	अ.ज.जा. क्षेत्र
		कुशलगढ़		*	*	"
		सज्जनगढ़		*	*	"
		बागीड़ोरा		*	*	"
		आननदपुरी		*	*	"
		घाटोल		*	*	"
		पीपलखूंट		*	*	"
		बांसवाड़ा		*	*	"
5.	भरतपुर	ड़ीग	*		*	
6.	बाड़मेर	सिवाना	*		*	
		बालोतरा	*		*	
		चौहटन	*		*	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	डी.डी.पी. मरूस्थल क्षेत्र	डी.पी.ए.पी. सूखा संभाव्य क्षेत्र	ई.ए.एस. आश्वासित रोजगार योजना	टी.एडी. अ.ज.जा.
		घोरीमन्ना	*		*	
		बायतु	*		*	
		बाड़मेर	*		*	
		सिंधरी	*		*	
7.	भीलवड़ा	जहाजपुर			*	
8.	बीकानेर	नोखा	*		*	
		लूणकरणसर	*		*	
		कोलायत	*		*	
		बीकानेर	*		*	
9.	बूंदी	तालेड़ा			*	
		हिंडौली			*	
		नैनवां			*	
		के. पाटन			*	
10.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़			*	अ.ज.जा. क्षेत्र
		छोटीसादड़ी			*	
		अरनोद			*	अ.ज.जा. क्षेत्र
		भैंसरोड़गढ़			*	
		बड़ीसादड़ी			*	
11.	चुरू	रतनगढ़	*		*	
		सरदारशहर	*		*	
		राजगढ़	*		*	
		तारानगर	*		*	
		चुरू	*		*	
		सुजानगढ़	*		*	
		डूंगरपुर	*		*	
12.	दौसा	महुवा			*	
		बांदीकुई			*	
		लालसोट			*	
		दौसा			*	
		सिकराय			*	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	डी.डी.पी. मरूस्थल क्षेत्र	डी.पी.ए.पी. सूखा संभाव्य क्षेत्र	ई.ए.एस. आश्वासित रोजगार योजना	टी.ए.डी. अ.ज.जा.
13.	डूंगरपुर	डूंगरपुर		*	*	
		आसपुर		*	*	
		बिछीवाड़ा		*	*	
		सिमलवाड़ा		*	*	
		सागवाड़ा		*	*	
14.	गंगानगर	रायसिंधनगर	*		*	
		करनपुर	*		*	
		सादुलशहर	*		*	
		श्री गंगानगर	*		*	
		हनुमानगढ़	*		*	
		सूरतगढ़	*		*	
		प्रदमपुर	*		*	
		अनोपगढ़	*		*	
15.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	*		*	
		नोहर	*		*	
		भादरा	*		*	
16.	जयपुर	बस्सी			*	
		सांगानेर			*	
		दूदू			*	
		जमवारामगढ़			*	
		चाकसू			*	
17.	जैसलमेर	सांखड़ा	*		*	
		जैसलमेर	*		*	
		सम	*		*	
18.	जालौर	आहोर	*		*	
		जालौर	*		*	
		सायला	*		*	
		भीनमाल	*		*	
		जसवंतपुरा	*		*	
		सांचोर	*		*	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	डी.डी.पी. मरूस्थल क्षेत्र	डी.पी.ए.पी. सूखा संभाव्य क्षेत्र	ई.ए.एस. आश्वासित रोजगार योजना	टी.ए.डी. अ.ज.जा.
		रानीवाड़ा	*		*	
19.	झालरापाटन	झालरापाटन		*	*	
		खानपुर		*	*	
		डग			*	
		मनोहरथाना			*	
20.	झुंझुनूं	झुंझन	*		*	
		अलसीसर	*		*	
		खेतड़ी	*		*	
		उदयपुरवाटी	*		*	
		नवलगढ़	*		*	
		चिड़ावा	*		*	
		सूरजगढ़	*		*	
21.	जोधपुर	ओसियां	*		*	
		बिलाड़ा	*		*	
		भोपालगढ़	*		*	
		मंडोर	*		*	
		लूनी	*		*	
		शेरगढ़	*		*	
		बालेसर	*		*	
		बाप	*		*	
		फलौदी	*		*	
22.	कोटा	लाडपुरा			*	
		चेचट		*	*	
		सांगोद		*	*	
		सुलतानपुर			*	
		इटावा			*	
23.	नागौर	डीडवाना	*		*	
		लाडनूं	*		*	
		नागौर	*		*	
		मूंडवा	*		*	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	डी.डी.पी. मरूस्थल क्षेत्र	डी.पी.ए.पी. सूखा संभाव्य क्षेत्र	ई.ए.एस. आश्वासित रोजगार योजना	टी.ए.डी. अ.ज.जा.
		जायल	*		*	
		मकराना	*		*	
		डेगाना	*		*	
		मेड़ता	*		*	
		रियां	*		*	
24.	पाली	बाली	*		*	
		सुमेरपुर	*		*	
		खारची	*		*	
		राकी	*		*	
		दोसूरी	*		*	
		जैतारण	*		*	
		रायपुर	*		*	
		सोजत	*		*	
		पाली	*		*	
		रोहट	*		*	
25.	राजसमंद	देवगढ़		*	*	
		भीम		*	*	
		कुम्भलगढ़			*	
26.	सवाई माधोपुर	खंडार		*	*	
		नादौती		*	*	
		सवाई माधोपुर			*	
		हिण्डौन			*	
		गंगापुर			*	
		करौली			*	
		सपोटरा			*	
		टोडाभीम			*	
		बोली			*	
		बामनवास			*	
27.	सीकर	लक्ष्मनगढ़	*		*	
		पिपराली	*		*	

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	डी.डी.पी. मरूस्थल क्षेत्र	डी.पी.ए.पी. सूखा संभाव्य क्षेत्र	ई.ए.एस. आश्वासित रोजगार योजना	टी.ए.डी. अ.ज.जा.
		धौंध	*		*	
		दांतारामगढ़	*		*	
		श्री माधोपुर	*		*	
		खंडेला	*		*	
		नीम का थाना	*		*	
28.	सिरोही	शिवगंज	*		*	
		पिंडवाड़ा			*	
		आबुरोड़		*	*	अ.ज.जा. क्षेत्र
29.	टौंक	देवली		*	*	
		उनियारा		*	*	
		टोड़ारायसिंह		*	*	
		निवाई			*	
30.	उदटपुर	कोटड़ा		*	*	अ.ज.जा. क्षेत्र
		खेरवाड़ा		*	*	"
		झाड़ोल		*	*	"
		गोगूंदा	*		*	"
		बड़गांव			*	"
		दरियावाद			*	"
		सलुम्बर			*	"
		सराड़ा			*	"
		मावली			*	"
		भींडर			*	"
		जिरवा			*	"
		कुल	93	32	170	28

बंजड भूमि विकास हेतु चयनित जिले जिनमें 100 प्रतिशत व्यय वाटर शेड आधार पर ही होगा।

1.	पाली
2.	टौंक
3.	जोधपुर
4.	चुरू
5.	अजमेर
6.	सवाई माधोपुर
7.	बूंदी
8.	झालावाड़
9.	कोटा
10.	उदयपुर
11.	डूंगरपुर
12.	भीलवाड़ा

स्वस्थ समाज के सोपान

शरीर स्वस्थ हो, आर्थिक संबल हो पर समाज की कुरीतियों में अपव्यय हो, छुआछूत हो, घृणा और द्वेष हो, तो समाज स्वस्थ नहीं रहेगा।

1. बाल विवाह : एक कानूनी और सामाजिक अपराध

कानून :

बाल विवाह निरोधक कानून 1978

(शारदा एक्ट 1929 का संशोधित रूप)

प्रावधान:

अ. विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 साल हो।

ब. लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष हो।

स. इससे कम उम्र की लड़की या लड़के का विवाह पुलिस रोक सकती है।

सजा :

अ. लड़के को 15 दिन तक की कैद या 1000/- जुर्माना या दोनों सज़ा।

ब. लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक, पर लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, तो भी लड़के को 3 माह की कैद की सजा या जुर्माना

स. माँ, बाप, संरक्षक, पुरोहित, नाई आदि विवाह करवाने वालों को 3 माह की जेल की सजा या जुर्माना

सही उम्र में विवाह पति- पत्नि, माता पिता, बच्चों और सारे सामाज के लिए कल्याणकारी है। छोटी उम्र में विवाह से बच्चे कमजोर होंगे व माँ कुपोषण की शिकार होगी।

2. मृत्यु भोज : कानूनी अपराध व पैसे की बर्बादी

कानून :

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960

प्रावधान :

अ. नुकता, मौसर, सभी मृत्यु भोज हैं

ब. मृत्यु भोज करना, देना, भाग लेना सभी अपराध हैं (धारा 3)

स. मृत्यु भोज हेतु प्रेरित करने, सहायता देने व मृत्यु भोज करने वाले सभी लोग एक वर्ष के कारावास अथवा 1000/- जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित होगें (धारा 4)

द. न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है (धारा 5)

च.. निषेधाज्ञा की अवज्ञा करने पर भी एक वर्ष कारावास या 1000 रु. जुर्माना या दोनों सजा भी हो सकती है (धारा 6)

छ. सरपंच, पंच, पटवारी मृत्यु भोज होने की सूचना मजिस्ट्रेट या थाने को देने हेतु बाध्य है (धारा 7)

पालना न करने पर पंच, सरपंच, पटवारी को 3 माह का कारावास व अर्थदण्ड की सज़ा हो सकती है।

3. अस्पृश्यता : एक अपराध

कानून :

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1953

संविधान अनुसार भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। यह मूलभूत समानता का अधिकार है।

प्रावधान :

अ. छुआछूत करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान

ब. हैण्डपम्प/ कुंए पर पानी भरने हेतु

स. समाज में अपमानजनक शब्दों से भंगी आदि कहकर संबोधन पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर कोर्ट से सजा हो सकती है।

4. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1988

सवर्ण समाज कमजोर वर्ग का शोषण करें।

प्रावधान :

अत्याचार न करें, इस हेतु यह कठोर कानून बनाया गया।

अ. मुकदमा काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। थाने में मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।

ब. कार्यवाही न करने वाले सरकारी कर्मचारी/पुलिस अधिकारी को भी सजा हो सकती है।

स. आर्थिक शोषण से मुक्ति का विशेष प्रावधान है। यंदि किसी अ.जा./अ.ज.जा. के नाम दर्ज काश्तभूमि पर सवर्ण काबिज हो, तो मुकदमा दर्ज होने पर कब्जा पुनः दिलाया जाएगा।

द. मुकदमा जिला जज के नीचे की अदालत में नहीं चलेगा। 6 माह से कम सजा नहीं होगी।

शिक्षाकर्मी यह जानकारी देवें कि सशक्त सवर्ण द्वारा दबाई गई जमीन को इस कानून द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

सामाजिक चेतना साक्षरता व शिक्षा का मुख्य भाग है। अतः शिक्षाकर्मी स्वयं भी उक्त अपराधों के प्रति सजग रहे व समाज को सही कानूनी जानकारी समय-समय पर देता रहे।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9328
Date 22-10-96

NIEPA DC
D09328